सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–5
(भाग–।)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

ति-ह सं० - 03 व 04

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(05)/ 14337 / 152(1)/2019–20 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

विषय : **उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप–1596 दिनांक 21–11–2016 के तहत प्रारिम्भक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को मूल संवर्ग हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–01(बेसिक) के पत्र संख्या : 659/ XXIV(1)/2018–36/2016 टी0सी0–II दिनांक 27 सितम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम–16 के अन्तर्गत सेवा संवर्ग परिवर्तन अनुमन्य न होने के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1596/XXIV(1)/2016–36/2016, दिनांक 21.11.2016 द्वारा सेवा संवर्ग, को अपरिवर्तित रखते हुए, शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोध एवं उनकी पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस शर्त एवं प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गयी थी कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस जाना होगा। तदोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–727/XXIV(1)/2017–36/2016, दिनांक 24.07.2017 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. कार्यालय ज्ञाप–394, दिनांक 25.04.2019 द्वारा कर्यालय ज्ञाप संख्या–1596/ XXIV(1)/2016–36/2016, दिनांक 21.11.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–727/ XXIV(1)/ 2017–36/2016, दिनांक 24.07.2017 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त गया एवं सम्बन्धित शिक्षकों को दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये।

3. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 एवं दिनांक 24.07.2017 के निरस्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें दायर की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2018 को निर्णय पारित किया गया है। जिसका कियात्मक अंश निम्नवत है:–

11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer 42 Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any

Scanned by CamScanner

of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

4. मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के क्रम में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रथम दृष्ठया प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अनुसार गम्भीर बीमारी से आच्छादित शिक्षकों (स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्य), विभागीय प्रस्ताव के आधार पर दाम्पत्य नीति (पति–पत्नी) से आच्छादित शिक्षकों एवं पर्वतीय स्थल से पर्वतीय स्थल में तैनात शिक्षकों (सूची संलग्न) के स्थानान्तरण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। उक्त शिक्षकों कों अधिनियम की धारा–27 की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व की भांति यथावत् बनाये रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है। संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की समिति के निर्णय/सहमति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप–1596 से आच्छादित ऐसे शिक्षक जो मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2018 से आच्छादित नहीं होते हैं, उन शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गये है।

अतः संलग्न सूची–01,02,03 में उल्लिखित शिक्षकों को वर्तमान तैनाती हेतु स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अन्तर्गत निर्णय होने तक यथावत् बनाये रखते हुए, शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 के आधार पर कार्यरत शेष शिक्षकों को तत्काल उनके मूल संवर्ग हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। पर्वतीय स्थल से पर्वतीय स्थल में हुई तैनाती में यदि किसी शिक्षक की पर्वतीय स्थल के स्थान पर मैदानी क्षेत्र में तैनाती हुई हो, तो उनको भी उनके मूल सवंर्ग के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त शिक्षकों के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित यदि कोई शिक्षक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों की पूर्ति करता हो एवं उनके वांछित प्रमाण–पत्र निदेशालय को प्राप्त नही कराए गये हो, तो उनके वांछित प्रमाण–पत्रों का भली भांति परीक्षण करते हुए स्पष्ट अभिमत सहित आख्या एवं वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाय।

संलग्नक–सूची।

भवदीय

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner

सूची–3

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1596 के अन्तर्गत पहाड़ से पहाड़ में हुई तैनात अध्यापकों की सूची

क्र. सं0	अध्यापक का नाम पदनाम कार्यारत विद्यालय का नाम	स्थानानतरण हेतु वांछित विद्यालय/वि0ख0 जनपद का नाम
1	श्री अब्बल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 परसुना वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	वि0ख0 भटवाडी/ डुण्डा उत्तरकाशी
2	श्री उत्तम राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 देवनगर, ओखल काण्डा नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कुज्जन जनपद उत्तरकाशी
3	श्री उमेश चन्द्र, स0अ0,रा0प्रा0वि0 होकरा, मुनस्यारी, पिथौरागढ	चमोली, गढवाल मण्डल
4	श्री विनोद कुमार गंगाडी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पंगूट बेतालघाट नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कुमारकोट, डुण्डा उत्तरकाशी
5	श्रीमती संतोष राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 हिरालानी कुमोला पुरोला,उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 भेलधार डुण्डा उत्तरकाशी
6	श्रीमती निर्मला औली,स0अ0, रा0प्रा0वि0 गंगोई धारचूला	चम्पावत
7	श्रीमती मीना डोभाल,स0अ0, रा0प्रा0वि0 देवराजखाल पोखडा पौडी गढ़वाल	रा0प्रा0वि0 मलेथा खिर्सू पौडी
8	श्रीमती रूचि सकलानी स0अ0,रा0प्रा0वि0 गजा	कुमाल्डा
9	माधुरी देवी प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 लेक अमोडी चम्पावत	जनपद चम्पावत
10	नवीन चन्द्र काण्डपाल प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 कालीगांव सल्ट अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सोरे भिक्यासैण अल्मोडा
11	विजय सिंह स0अ0,रा0प्रा0वि0 क्वीटी मुनस्यारी पिथौरागढ	रूद्रप्रयाग
12	प्रवीण सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 रोटली ईजरा चम्पावत	उत्तरकाशी
13	राकेश प्रसाद नौटियाल,स0अ0,रा0प्रा0वि0 वार्ड नम्बर 10 टनकपुर चम्पावत	टिहरी गढ़वाल
14	राजकिशोर सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दायरसांथी धारचूला पिथौरागढ	चमोली
15	उदय सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गोली चम्पावत	टिहरी गढ़वाल
16	आनन्द सिह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पालीखेत धौलादेवी अल्मोडा	टिहरी गढवाल
17	राजेन्द्र असवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सौपाखाल, नैनीडांडा पौडी	प्रा0वि0 बडकोट, चकरगांव नौगांव उत्तरकाशी
18	श्री दिनेश चन्द्र नेगी, स0अ0 रा0प्रा0वि0 सैनर, वि0ख0 बेरीनाग, पिथोरागढ	रा0प्रा0वि0 भीडलग्गा गडोरा वि0ख0 दशोली चमोली
19	श्रीमती बबीता जोशी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 डुंग बजियाल गांव ग्यारहगांव हिन्दाव भिलंगना टिहरी	रा0प्रा0वि0 दिवाडा/माणवा/तुंगोली विकासखण्ड चम्बा टिहरी
20	खुशहाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दिखोली पाटी चम्पावत	रूद्रप्रयाग
21	श्रीमती सुलोचना, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 किनोई जौनपुर	रा0उ0प्रा0वि0 धेना टिहरी गढवाल
22	श्रीमती अर्चना व्यास,स0अ0, रा0प्रा0वि0 पिनालीधार प्रतापगढ टिहरी	रा0प्रा0वि0 गुरसाली, टिहरी गढ़वाल
23	श्रीमती सरला बिष्ट, स0अ0, रा0क0उ0प्रा0वि0 सुरसिंह धार चम्बा टिहरी	रा0उ0प्रा0वि0 जमठियाल गांव जौनपुर, टिहरी गढवाल
24	श्री रमेश डंगवाल, स0अ0, जू0हाईस्कूल पोखार भिलंगना	जू0हाई स्कूल जमठियालगांव– जौनपुर, टिहरी गढवाल
25	श्रीमती उषा कठैत, स0अ0 जू0हा0स्कूल धनसाडा	जू0हा0स्कूल दैडधार नरेन्द्रनगर

Scanned by CamScanner

26	सरला राणा स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 भोनाबागी, चम्बा टिहरी	कुमाल्डा/दौक जौनपुर टिहरी
27	श्रीमती रेखा चौहान, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 तल्यामण्डल वि0ख0 देवप्रयाग	जौनपुर/नरेन्द्रनगर वि0ख0
28	श्री मोहन सिंह राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गंगाउ थैलीसैंण पौड़ी	बडकोट उत्तरकाशी
29	श्री तेज पाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 धार, धारचूला	वि0ख0 कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल
30	महेश सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कमडई,बीरोखाल, पौडी गढ़वाल	पिथौरागढ़
31	मालती पुरोहित, स0अ0,रा0प्रा0वि0 किरोली ऐठाण बागश्वर	रा0प्रा0वि0 माठा, चमोली
32	दिर्घायु प्रसाद वशिष्ठ,स0अ0, रा0प्रा0वि0 बल्ला मुनस्यारी पिथौरागढ	रूद्रप्रयाग
33	राजेन्द्र पसाद मिश्रा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नाधर मुनस्यारी पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 चौण्डली, चमोली
34	श्री दिनेश चन्द्र डंगवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कुमुगडार, खत्ता रामनगर	रा0प्रा0वि0 ऋषिकेश नगर क्षेत्र/नरेन्द्र नगर, देवप्रयाग
35	श्रीमती मीरा परमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 ढनाण चौखुटिया,अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 ल्वारखा डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
36	गंगा सिंह भण्डारी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सुवारी अगस्तमुनी रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 पुराना रिखवाड जनपद उत्तरकाशी
37	श्री वीर सिंह खरोला, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पज्याणाखाल गैरसैण चमोली	रा0प्रा0वि0 सेम डुण्डा, उत्तरकाशी
38	श्रीमती बच्ची बिष्ट, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0चलथी चम्पावत	रा0उ0प्रा0वि0 छीनीगोठ चम्पावत
39	श्रीमती बीना पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कल्याणा, गैरसैंण, चमोली	रा0प्रा0वि0डुण्डा उत्तरकाशी
40	श्रीमती लता काण्डपाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0गुजरगढी अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0ताड़ीखेत वि0ख0 उपराड़ी
41	सुरेन्द्र सिंह गुसांई,स0अ0, रा0प्रा0वि0, सेमखेत, गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 गडकोट, बीरोंखाल, पौड़ी
42	श्रीमती प्रीति बिष्ट, स0अ0, रा0प्रा0वि0 चरी, वि0ख0 घाट चमोली	रा0प्रा0वि0 चटोली चमोली
43	श्री दिनेश प्रसाद जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0, लोरथी, बेरीनाग पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 जोगथ तल्ला, चिन्यालीसौड जनपद उत्तारकाशी
44	श्रीमती कुसुमलता पोखरियाल,स0अ0,रा0प्रा0वि0 मासौं मसेठा एकेश्वर पौडी	रा0प्रा0वि0 सिरोली, पौड़ी
45	श्रीमती अनिता, स0अ0,रा0प्रा0वि0 मठबेमरू, दशोली चमोली(दुर्गम)	रा0प्रा0वि0 सुपार्गा भटवाडी (दुर्गम)
46	श्री रमेश कुमार झिल्डियाल,प्र0अ0, रा0प्रा0वि0,गोसिल, हिन्डोलाखाल, देवप्रयाग	रा0प्रा0वि0 सिमस्वाडा, देवप्रयाग/ रा0प्रा0वि0 औणी नरेन्द्रनगर टिहरी
47	श्री सुरेन्द्र कुमार बलोनी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गंगवाडी, भिलगना टिहरी	कीर्तिनगर/नरेन्द्रनगर वि0ख0 टिहरी
48	श्री प्रेम सिंह रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भरपूर छोटा बीरोखाल	रा0 प्रा0वि0 डाण्डाडमराडा जनपद पौडी गढवाल
49	श्री मनोज गैरोला, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0, पारकोट कीर्तिनगर टिहरी	प्रा0वि0 डाण्डा बुराली कीर्तिनगर टिहरी
50	श्री जगमोहन नौटियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सलकुवार ओखलकाण्डा नैनीताल	रा0प्रा0वि0 भकोली, केनसू, भटवाडी उत्तरकाशी
51	श्री पीताम्बर दत्त उनियाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सेगा पुनाणू	रा0प्रा0वि0 पाटा क्षेत्र चम्बा टिहरी गढवाल

Scanned by CamScanner

	जाखणीधार टिहरी	रा0प्रा0वि0 चिलोथ, उत्तरकाशी
52	श्री अनिल कुमार मैठाणी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पापडी, रामनगर नैनीताल	रा0प्रा0वि0 सर्प जनपद उत्तरकाशी
53	श्री ललित नौटियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 किमकाडा, अल्मोडा	अल्मोडा अथवा समीपस्थ विद्यालय नगर क्षेत्र
54	सुश्री बीना जोशी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 गरवाली हवलबाग अल्मोडा	रा0उ0प्रा0वि0 खण्डकरी
55	श्रीमती सुनीता सजवाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गुनोगी, बमुण्डा, वि0ख0 चम्बा	रा0प्रा0वि0 गुनोगी बमुण्ड, वि0ख0 चम्बा / रा0उ0प्रा0 वि0 खण्डकरी चम्बा टिहरी
56	श्रीमती जीनद अहमद, स0अ0, रा0प्रा0वि0 झानसू, चम्बा, टिहरी	रा0उ0प्रा0वि0 भेडधार नरेन्द्रनगर
57	श्रीमती ललिता पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सौन्दकोटी मल्ली चम्बा	रा0प्रा0वि0 गुनोगी वि0ख0 चम्बा / रा0प्रा0वि0 चौपा टिहरी
58	श्रीमती मंजूला नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दिखोलगाव मनियार, चम्बा टिहरी	जू0हा0 कुठठा टि0ग0
59	श्री अजयबीर चन्द रमोला, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बालमा टिहरी	जनपद टिहरी गढवाल जिला मुख्यालय के समीप रा0प्रा0वि0 में।
60	श्री अजीतपाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 खरीक वि0ख0 द्वारीखाल पौडी गढवाल	रा0जू0हा0 टिगरी चम्बा, टिहरी गढवाल
61	श्री इश्तियाक अहमद, स0अ0, जू0हा0 भमोरी खाल थौलधार, टिहरी गढवाल	रा0प्रा0वि0 चम्बा / थौलधार, टिहरी गढवाल
62	श्रीमती सुलोचना, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बिजौरी,चिन्याली सौड, उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 अडेली गाड, काडरना नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल
63	श्रीमती निर्मला, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 जौनीवासर भिलगना, टिहरी	रा0प्रा0वि0 ग्वाड उतरासू कोट, पौडी गढवाल
64	श्री राकेश सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गैलहतीम कल्जीखाल पौडी	रा0प्रा0वि0 पाटा भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
65	श्री मानेन्द्र पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नाई पोखडा, पौडी	रा0प्रा0वि0 जालग डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
66	श्री महावीर प्रसाद, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सानती, वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 साल्ड जनपद उत्तरकाशी
67	श्री अब्बल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बलसूना वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 भेटीयारा जनपद उत्तरकाशी वि0ख0 डुण्डा
68	श्री कृष्णपाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तिमूखाल वि0ख0 स्याल्दे अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 पुराना रिखवाड जनपद उत्तरकाशी
69	श्री भूपेन्द्र सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कोट्यूडा नवीन वि0ख0चौखुटिया, अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 नेपडा जनपद उत्तरकाशी
70	श्री संजीव नयन, स0अ0,रा0प्रा0वि0 दुम्मर वि0ख0 मुनस्यारी, पिथौरागढ	जनपद रूद्रप्रयाग
71	श्री मधुसूदन गौड, स0अ0,रा0प्रा0वि0 वार्ड नं0 03 टनकपुर चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मट्टी जनपद उत्तरकाशी
72	श्री यशवन्त पडियार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 थल पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 भटकोट जनपद उत्तरकाशी
73	श्री सरविन्द बिष्ट,स0अ0,रा0प्रा0वि0 टिकरचुपडा वि0ख0 अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 चिलोथ जनपद उत्तरकाशी
74	श्री अनिल पडियार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 धुर्म वि0ख0 लमगडा, अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 तिहार उत्तरकाशी
75	श्री हरीश कसवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 रिंगू मुनस्यारी अल्मोडा	

Scanned by CamScanner

76	श्री कृष्ण कुमार बहुगुणा, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कौल वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 नौगांव केलसु जनपद उत्तरकाशी
77	श्री राजीव व्यास, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सेलाकोट, वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सेलाकोट जनपद उत्तरकाशी
78	श्री प्रवीन नौटियाल, स0अ0 रा0प्रा0वि0 दुनाड वि0ख0 धौलादेवी,अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 रैथल भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
79	श्री देवेन्द्र सिंह राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नौरा वि0ख0व लमगडा अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 हुर्री, भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
80	श्री अजय जोशी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 रोण धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सिलक्यारा, बैण्ड डुण्डा जन- उत्तरकाशी
81	श्री धर्मेन्द्र चौहान, स0अ0,रा0प्रा0वि0 अमेता सल्ट अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 गजोली डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
82	श्री मुकेश जुयाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 वार्ड नं0 10 चम्पावत	रा0प्रा0वि0 नौगाव डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
83	श्री प्रवीन सिंह,स0अ0,रा0प्रा0वि0 रोटरीइजरा वि0ख0 न्याटी चम्पावत	रा0प्रा0वि0 कुमार कोट डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
84	श्रीमती राजेश्वरी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गोन्दर वि0ख0 पोखडा, पौडी गढवाल	रा0प्रा0वि0 वार्सू, भटवाडी, उत्तरकाशी
85	श्री राघवेन्द्रे उनियाल,स0अ0, रा0प्रा0वि0,खुटकाधारी, नैनीताल	रा0प्रा0वि0 पाही, भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
86	श्रीमती राखी पंत, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 रायगढी, जोशीमठ, चमोली	रा0क0उ0प्रा0वि0 सुनील जोशीमठ, चमोली
87	श्री गंगा सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सुवांरी,अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग	वि0ख0 डुण्डा / चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
88	श्री धीरज पाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 धुलैथ, पाबौ, पौडी गढवाल	रा0प्रा0वि0 स्यालब ब्लॉक नौगांव उत्तरकाशी
89	अनीता गर्जोला, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बेतालघाट	रा0उ0प्रा0वि0 बेलबसानी चौंसला, तपस्यानाला
90	श्री बलवीर पंवार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 होराली बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 भैन्त डेण्डा उत्तरकाशी
91	श्रीमती ममता पवार,स0अ0, रा0प्रा0वि0 चमगांव पाबौ	रा0प्रा0वि0 नवीन ज्ञानसू भटवाडी उत्तरकाशी
92	श्रीमती प्रीति नेगी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 असेना भिलंगना टिहरी	रा0प्रा0वि0 रौतू की बेली जौनपुर टिहरी
93	श्रीमती सरोजनी सेमवाल,स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 भदालीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 गडकोट देवप्रयाग टिहरी
94	श्री हीरा टोलिया, प्र0अ0,रा0प्रा0वि0 भैसियाछाना अल्मोडा	भीमताल / नैनीताल
95	श्री सुभाष चन्द्र डबराल,स0अ0, रा0प्रा0वि0 बिछाडा पौड़ी	चकराता एवं कालसी
96	श्रीमती पूर्णिमा पवार,स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिलंगा गैरसैण	भटवाडी उत्तरकाशी
97	श्री सजीव रावत, स0अ0,रा0प्रा0वि0 धनियाकोट नैनीताल	उत्तरकाशी
98	श्रीमती प्रेयका रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तल्ला कोट नैनीताल	उत्तरकाशी
99	श्री विनय रावत, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 डबिलाखाल पोखडा पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 मथाणा
100	श्री रजनीश गैरोला, स0अ0, रा0प्रा0वि0, जीवलगाड गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 पोटी तल्ली नौगांव उत्तरकाशी
101	श्री धनवीर सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 डांडा मजयाणी,	उत्तरकाशी
102	श्रीमती दीपिका आर्या, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 नारायण बगड	रा0उ0प्रा0वि0 विधके चौईधार चमोली
103	श्री सरिता देवी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 आमथल बेरीनाग पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 गढभेटियारा डुण्डा उत्तरकाशी
104	श्रीमती बबीता नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बदियारौण चमोली	रा0प्रा0वि0 इन्द्रा चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
105	श्री सुधीर चन्द, स0अ0, रा0प्रा0वि सेमघार,प्रतापनगर टिहरी	शिवपुरी या खर्की नरेन्द्रनगर
106	श्री मेहरबान सिंह बुटोला, स0अ, रा0प्रा0वि0 मोल्या,	विकास खण्ड कीर्तिनगर

Scanned by CamScanner

	प्रतापनगर	
107	श्री रमेश डंगवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गुनोगी जौनपुर	प्रा0वि0 दुबडा
108	श्री दीपक कुमार स0अ0,रा0प्रा0वि0 लोधा, मुनस्यारी पिथौरागढ	टिहरी गढवाल के वि0ख0 कीर्तिनगर
109	श्रीमती सुमन काला, स0अ0, जू0हा0स्कूल हरडाखाल देवप्रयाग	जू0हा0स्कूल कुमाल्डा जौनपुर
110	श्रीमती किरण उनियाल, स0अ0, जू0हा0स्कूल चौपा, टिहरी गढवाल	जू0हा0स्कूल नीर सिंगटाली, शिवपुरी, ढालवाला
111	श्री जयप्रकाश केष्टवाल स0अ0, रा0प्रा0वि0 कुठखाल थैलीसैंण पौडी	रा0प्रा0वि0 न0-8नगर क्षेत्र पौडी गढवाल
112	श्री प्रकाश चन्द्र मैठाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कोटसाणा, पौडी	रा0प्रा0वि0 जामरी वि0ख0 कोट पौड़ी
113	श्री बच्ची बिष्ट, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 चलथी चम्पावत	रा0उ0प्रा0वि0 पंचपोखरिया / फाकपुर
114	श्रीमती माधुरी, प्र0अ0,रा0प्रा0वि0 लेकअमोडी, चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मनीहारगोठ चम्पावत
115	श्रीमती प्रेता, स0अ0,रा0प्रा0वि0 ओलना, कल्जीखाल पौडी	देहरादून नगर / पौड़ी नगर क्षेत्र
116	श्री चन्द्रपाल असवाल, स0अ0, रा0जू0हाई0ठॉगर,एमकेश्वर पौडी	रा0जू0हाई0 तल्ला बणास द्वारीखाल पौड़ी
117	ममता रावत स0अ0,रा0प्रा0वि0 बैलोडी एकेश्वर, पौडी	विकासखण्ड दुगड्डा पौडी
118	धमेन्द्र सिंह चौहान, स0अ0, रा0प्रा0वि0 अमेता सल्ट अल्मोडा	उत्तरकाशी
119	यदुवेन्द्र सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 त्यूनरा लमगडा अल्मोडा	उत्तरकाशी
120	शिव प्रकाश, स0अ0,रा0प्रा0वि0 तोली मूनाकोट पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 मोरगी, चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
121	भवानी प्रसाद बिजल्वाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0 जाराजिबली धारचूला पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 कन्ताडी, पुरोला उत्तरकाशी
122	प्रमोद सिंह भण्डारी, स0अ0, रा0प्रा0वि0, सैलमेल पाटी चम्पावत	रा0प्रा0वि0 तीहार भटवाडी उत्तरकाशी
123	रंजना पाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 दडगाडगॉव मोरी उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 धामस हवालबाग, अल्मोडा
124	रोशन सिंह रावत, स0अ0,रा0प्रा0वि0 तल्ला सुल्ला, लोहाघाट,चम्पावत	रा0प्रा0वि0 जसपुरखाल बीरोंखाल, पौड़ी
125	राजपाल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 शील चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मासौ बीरोखाल, पौड़ी
126	दीपक कुमार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 लोधा मुनस्यारी पिथौरागढ	टिहरी
127	दीपक तिवारी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 स्यूरी लमगडा अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 पल्ली गांव रिखणीखाल पौड़ी
128	श्री तेज सिंह भण्डारी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 देवलिंग भिलगना	रा0उ0प्रा0वि0 चौंपा / उडारखेत नरेन्द्रनगर टिहरी
129	बीना पवार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कल्याणा गैरसैंण चमोली	रा0प्रा0वि0 गढ़भेटीयारा वि0ख0 डुण्डा उत्तरकाशी
130	रोशन लाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गिरगड पोखरी चमोली	वि0ख0 गैरसेण चमोली
131	मीना देवी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कलुण पाबो पौड़ी	जनपद उत्तरकाशी
132	कयूम बख्श सिद्दीकी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 जोलाकोट थराली चमोली	जनपद चम्पावत

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1118(18)/ 686 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1118/एस0एस0/2018 दिनेश प्रसाद डंगवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

दिनेश प्रसाद डंगवाल स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुनुगडार, खत्ता, विकासखण्ड– रामनगर, नैनीताल में कार्यरत थे। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण दिनेश प्रसाद डंगवाल की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड चम्बा में किया गया। जिसके क्रम में आंवटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर दिनेश चन्द्र डंगवाल द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1118/एस0एस0/2018 दिनेश प्रसाद डंगवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता हैं।

निर्णय

याची दिनेश प्रसाद डंगवाल का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद नैनीताल, विकासखण्ड रामनगर है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में दिनेश चन्द्र डंगवाल की नवीन विकासखण्ड चम्बा में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची दिनेश चन्द्र डगवाल स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करते है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04. 2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

01.07.2019

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1118(18)/21954-60 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल; उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल/नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
6– याची श्री दिनेश चन्द्र डंगवाल, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 तुंगोली, विकासखण्ड चम्बा, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

01.07.2019

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1131(18)/ 690 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1131/एस0एस0/2018 तेजपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

तेजपाल सिंह स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दैधार,, विकासखण्ड– धारचुला, पिथौरागढ़ में कार्यरत थे। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण तेजपाल सिंह की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचुला से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में किया गया। जिसके क्रम में आंवटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C.II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर तेजपाल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0– 1131/एस0एस0/2018 तेजपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता हैं।

निर्णय

याची तेजपाल सिंह का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद पिथौरागढ़, विकासखण्ड धारचुला है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में तेजपाल सिंह की नवीन जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड कीर्तीनगर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची तेजपाल सिंह स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करते है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

28.01.2019

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1131(18)/21982-88 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल/पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
6– याची श्री तेजपाल सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 रणकन्डियाल, विकासखण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

28.01.2019

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1107(18)/ 689 /2018–19 दिनांक 0 / जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1107/एस0एस0/2018 उदय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

उदय सिंह स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोली, विकासखण्ड– चम्पावत, जनपद– चम्पावत में कार्यरत थे। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण उदय सिंह की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में किया गया। जिसके क्रम में आवंटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C.II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर उदय सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1107/एस0एस0/2018 उदय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता हैं।

निर्णय

याची उदय सिंह का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद चम्पावत, विकासखण्ड चम्पावत है तथा शासनादेश दिनांक 25--04--2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में उदय सिंह की नवीन जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची उदय सिंह स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करते है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04. 2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियन 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

.01.2019

(आर0के0 कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ—10(5)/1107(18)/21975-81 /2018—19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग—1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4— अपर निदेशक (प्रा0शि0), कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल/चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
6— याची श्री उदय सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 वार्ड अणुवॉ, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल।
7— कार्यालय पत्रावली।

2019

(आर0के0 कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1117(18)/ 687 /2018–19 दिनांक 07 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1117/एस0एस0/2018 जितेन्द्र दत्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

जितेन्द्र दत्त स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पुनियाल, विकासखण्ड– बाराकोट, चम्पावत में कार्यरत थे। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानो के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण जितेन्द्र दत्त की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद चम्पावत के विकासखण्ड बाराकोट से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में किया गया। जिसके क्रम में आंवटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर जितेन्द्र दत्त द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1117/एस0एस0/2018 जितेन्द्र दत्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता हैं।

निर्णय

याची जितेन्द्र दत्त का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद चम्पावत, विकासखण्ड बाराकोट है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में जितेन्द्र दत्त की नवीन जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची जितेन्द्र दत्त स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करते है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भंव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1117(18)/2196-67 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल/चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
6– याची श्री जितेन्द्र दत्त, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 सांकरी, भिलंग, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1182(18)/ 688 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1182/एस0एस0/2018 राकेश प्रसाद नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

राकेश प्रसाद नौटियाल स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड न0–10 टनकपुर, विकासखण्ड– चम्पावत, चम्पावत में कार्यरत थे। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण राकेश प्रसाद नौटियाल की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में किया गया। जिसके क्रम में आवंटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर राकेश प्रसाद नौटियाल द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0– 1118/एस0एस0/2018 राकेश प्रसाद नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता हैं।

निर्णय

याची राकेश प्रसाद नौटियाल का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद चम्पावत, विकासखण्ड चम्पावत है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में राकेश प्रसाद नौटियाल की नवीन जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची राकेश प्रसाद नौटियाल स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करते है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर) 2019
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1182(18)/21968-74 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल/चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
6– याची श्री राकेश प्रसाद नौटियाल, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 बमणागॉव, विकासखण्ड नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर) 2019
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1396(18)/ 781 /2018–19 दिनांक 11 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1396/एस0एस0/2018 अर्चना प्यासा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

अर्चना प्यासा सहायक अध्यापिका प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिलानीधार, विकासखण्ड–प्रतापनगर, टिहरी गढवाल में कार्यरत थें। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण अर्चना प्यासा की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड प्रतापनगर से जनपद टिहरी गढवाल के रा0प्रा0वि0 गुरसाली विकासखण्ड कीर्तिनगर में किया गया। जिसके क्रम में स्थानान्तरित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर अर्चना प्यासा द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0– 1396/एस0एस0/2018 अर्चना प्यासा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है।

निर्णय

याची अर्चना प्यासा का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड प्रतापनगर है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में अर्चना प्यासा की नवीन विकासखण्ड कीर्तिनगर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची अर्चना प्यासा स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निरस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1396(18)/23529-35 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संदर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची अर्चना प्यासा, सहायक अध्यापिका, रा0प्रा0वि0 गुरसाली, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1207(18)/ 668 /2018–19 दिनांक 30 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1207/एस0एस0/2018 श्रीमती मनोरमा चमोली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

श्रीमती मनोरमा चमोली की नियुक्ति स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोलधार, विकासखण्ड– प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में हुई। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित कि "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण श्रीमती मनोरमा चमोली की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड चम्बा में किया गया, जिसके क्रम में उप शिक्षा अधिकारी, चम्बा टिहरी गढवाल द्वारा आंवटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर श्रीमती मनोरमा चमोली द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1207/एस0एस0/2018 श्रीमती मनोरमा चमोली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.

11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं।

निर्णय

याची श्रीमती मनोरमा चमोली का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड प्रतापनगर है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में श्रीमती मनोरमा चमोली की विकासखण्ड चम्बा में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची श्रीमती मनोरमा चमोली, स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रामाणिक रूप से उल्लिखित नहीं है कि, याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जा सके। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर०के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1207(18)/ 217/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा०शि०), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्रीमती मनोरमा चमोली, सहायक अध्यापिका, रा०प्रा०वि० चामनी, चम्बा, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर०के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1166(18)/614 /2018–19 दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका, सं0–1166/एस0एस0/2018 सोबती डोभाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

प्रार्थी श्रीमती सोबती डोभाल की प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल मे हुई। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा टिहरी गढवाल के आदेश संख्या/प्रा0शि0–2/1278/तैनाती/2016–17 दिनांक 18 फरवरी 2017 द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0/दो(5)/228/22546–81/2016–17 दिनांक 31 दिसम्बर 2016 के शासन के पत्र संख्या–1911/XXIV(1)/2017–36/2016 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) दिनांक 30 दिसम्बर 2016 तथा शासन के पत्र संख्या–1915/XXIV(1)/2016–19/2016 टी0सी0 II शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) दिनांक 30 दिसम्बर 2016 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596/XXIV(1)/2017–36/2010 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–1 बेसिक दिनांक 21–11–2016 में उल्लिखित प्राविधानो के अनुक्रम में दिनांक 21–11–2016 मे उल्लिखित प्राविधानो के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण रिक्त पद होने के दशा में श्रीमती सोबती डोभाल, प्र0अ0 रा0प्रा0वि0 मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल को रा0प्रा0वि0 ढुंगली, चम्बा में स्थानान्तरण किया गया। तद्क्रम में उनके द्वारा दिनांक 22–02–2017 के पूर्वाहन में कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया है। तद्क्रम में उप शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 विकासखण्ड टिहरी गढवाल के पत्र दिनांक 19–05–2018 द्वारा समस्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक तत्काल प्रभाव से अपने कार्यरत विद्यालय से कार्यमुक्त होने अपने मूल तैनाती विद्यालय में अपनी उपस्थिति देने हेतु आदेश जारी किये गये। उक्त से क्षुब्ध होकर याची द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1166/एस0एस0/2018 सोबती डोभाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। याची द्वारा उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 एंव निदेशक प्रा0शि0 के पत्र दिनांक 28–04–2018 जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 19–05–2018 को निरस्त किये जाने हेतु मा0 न्यायालय से प्रार्थना की गयी है। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2018 को आदेश पारित किया गया, जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners

are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

सूच्य है कि समान याचिकाओ में पारित निर्णय दिनांक 26–10–2018 पारित होने के उपरान्त याची श्रीमती सोबती डोभाल, प्रधानाध्यापिका, रा0प्रा0वि0 ढुँगली चम्बा, टिहरी गढवाल का प्रत्यावेदन दिनांक 19–11–2018 द्वारा शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए याची की सेवा शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान स्थानान्तरण को यथावत् बनाये रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

याची श्रीमती सोबती डोभाल को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढवाल के आदेश संख्या/प्रा0शि0–2/1278/तैनाती/2016–17 दिनांक 18 फरवरी 2017 द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0/दो(5)/228/22546–81/2016–17 दिनांक 31 दिसम्बर 2016, शासन के पत्र संख्या–1911/XXIV(1)/2017–36/2016 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) दिनांक 30 दिसम्बर 2016, शासन के पत्र संख्या–1915/XXIV(1)/2016–19/2016 टी0सी0 II शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) दिनांक 30 दिसम्बर 2016, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596/XXIV(1)/2017–36/2010 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–1 बेसिक दिनांक 21–11–2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण रिक्त पद होने की दशा में श्रीमती सोबती डोभाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल को रा0प्रा0वि0 ढुंगली, चम्बा में स्थानान्तरण किया गया। तद्क्रम में उनके द्वारा दिनांक 22–02–2017 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निम्न बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया गया है:–

वर्तमान में प्रख्यापित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (2)(ड़) के अनुसार .....दो कार्मिको के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का

ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किये गये कार्मिका का ऐच्छिक संवर्ग/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा की परिवर्तित नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम् माना जायेगा।.....

निर्णय

चूंकि याची श्रीमती सोबती डोभाल का मूल तैनाती स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल है, तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा उनका स्थानान्तरण निरस्त किया जा चुका है।

अतः याची को आदेशित किया जाता है कि वे अपने मूल विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0के0 कुवेर) 2019

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1166(18)/2019-26 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल।
6– उप शिक्षा अधिकारी, चम्बा को इस निर्देश के साथ कि वे याची को तत्काल उनके मूल विद्यालय हेतु कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करे।
7– याची श्रीमती सोबती डोभाल, प्रधानाध्यापिका राजकीज प्राथमिक विद्यालय, ढुँगली, चम्बा टिहरी गढवाल। (पंजीकृत)
8– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुवेर) 2019

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1311(18)/ 683 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1311/एस0एस0/2018 श्रीमती सुलोचना रतूडी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

श्रीमती सुलोचना रतूडी स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, किमोई, विकासखण्ड–जौनपुर, टिहरी गढवाल में कार्यरत थी। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानो के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण श्रीनती सुलोचना रतूडी की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर, के रा0उ0प्रा0वि0 किमोई से जनपद टिहरी गढवाल विकासखण्ड जौनपुर, के रा0उ0प्रा0वि0 घेना में किया गया। जिसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर श्रीमती सुलोचना रतूडी द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1311/एस0एस0/2018 श्रीमती सुलोचना रतूडी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं।

निर्णय

याची श्रीमती सुलोचना रतूडी का मूल तैनाती का विद्यालय रा0उ0प्रा0वि0 किमोई, विकासखण्ड जौनपुर, जनपद टिहरी गढवाल, का है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में श्रीमती सुलोचना रतूडी की नवीन रा0उ0प्रा0वि0 घेना में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची श्रीमती सुलोचना रतूडी स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर) 2019
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1311(18)/ 21933-39 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्रीमती सुलोचना रतूडी, सहायक अध्यापिका, रा0प्रा0वि0 घेना, जौनपुर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर) 2019
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1191(18)/674 /2018–19 दिनांक 30 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1191/एस0एस0/2018 श्रीमती उषा कठैत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

श्रीमती उषा कठैत स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दनसाडा, विकासखण्ड–देवप्रयाग, टिहरी गढवाल में कार्यरत थी। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण श्रीमती उषा कठैत की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड देवप्रयाग से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में किया गया। जिसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय रा0प्रा0वि0 पूर्वावाला, विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग/विद्यालय में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर श्रीमती उषा कठैत द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1191/एस0एस0/2018 श्रीमती उषा कठैत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

Scanned by CamScanner

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं।

निर्णय

याची श्रीमती उषा कठैत का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड देवप्रयाग है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में श्रीमती उषा कठैत की नवीन विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची श्रीमती उषा कठैत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियन 2017 की धाराओं के अनुसार याची के प्रत्यावेदन में कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित एवं उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भंव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / विधि प्रकोष्ठ–10(5) / 1191(18) / 21783-89 / 2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्रीमती उषा कठैत, सहायक अध्यापिका, रा0प्रा0वि0 पूर्वावाल, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1190(18)/ 774 /2018–19 दिनांक 11 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1190/एस0एस0/2018 श्रीमती अमिता संगप्पा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

श्रीमती अमिता संगप्पा स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टिपरी, नवाकोट, विकासखण्ड– जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल में कार्यरत थी। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण श्रीमती अमिता संगप्पा की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में किया गया। जिसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, टिहरी गढ़वाल द्वारा आंवटित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर श्रीमती अमिता संगप्पा द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1190/एस0एस0/2018 श्रीमती अमिता संगप्पा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

Scanned by CamScanner

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं।

निर्णय

याची श्रीमती अमिता संगप्पा का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड जाखणीधार है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में श्रीमती अमिता संगप्पा की नवीन विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची श्रीमती अमिता संगप्पा स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित एवं उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1190(18)/2351-17 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्रीमती अमिता संगप्पा, सहायक अध्यापिका, रा0प्रा0वि0 भिन्नू, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1208(18)/ 685 /2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1208/एस0एस0/2018 श्रीमती बबीता जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

श्रीमती बबीता जोशी की नियुक्ति स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डुंग, बजियाल गांव ग्यारहगांव, हिन्दाव विकासखण्ड– भिलंगना, टिहरी गढवाल में हुई। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण श्रीमती बबीता जोशी की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड चम्बा में किया गया। जिसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय रा0प्रा0वि0 दिवाडा, विकासखण्ड चम्बा में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर श्रीमती बबीता जोशी द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1208/एस0एस0/2018 श्रीमती बबीता जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

Scanned by CamScanner

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं।

निर्णय

याची श्रीमती बबीता जोशी का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड भिलंगना है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में श्रीमती बबीता जोशी की नवीन विकासखण्ड चम्बा में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची श्रीमती बबीता, स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर) 21.1.2019
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1208(18)/21947-53 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्रीमती बबीता जोशी, सहायक अध्यापिका, रा0प्रा0वि0 दिवाडा, चम्बा, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर) 21.1.2019
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

पंजीकृत

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1387(18)/ 5739 /2018–19 दिनांक 07 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1387/एस0एस0/2018 संजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

संजय सिंह स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुरंट, विकासखण्ड–जाखणीधार, टिहरी गढवाल में कार्यरत थें। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानो के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण संजय सिंह की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जाखणीधार से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में किया गया। जिसके क्रम में स्थानान्तरित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर संजय सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1387/एस0एस0/2018 संजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

Scanned by CamScanner

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता है।

निर्णय

याची संजय सिंह का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड जाखणीधार है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में संजय सिंह की नवीन विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची संजय सिंह स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

25.02.19
(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1387(18)/ 23068-74 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्री संजय सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 कुथ्या, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

25.02.19
(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं0– विधि प्रको–10(5)/1317(18)/ 748 /2018–19 दिनांक 08 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1317/एस0एस0/2018 रमेश चन्द्र डंगवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

रमेश चन्द्र डंगवाल स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पोखार, विकासखण्ड–भिलंगना, टिहरी गढवाल में कार्यरत थें। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का नियत उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण रमेश चन्द्र डंगवाल की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना से जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में किया गया। जिसके क्रम में स्थानान्तरित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर रमेश चन्द्र डंगवाल द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1317/एस0एस0/2018 रमेश चन्द्र डंगवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

Scanned by CamScanner

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता है।

निर्णय

याची रमेश चन्द्र डंगवाल का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड भिलंगना है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में रमेश चन्द्र डंगवाल की नवीन विकासखण्ड जौनपुर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची रमेश चन्द्र डंगवाल स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करता है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नही है। तदनुसार प्रत्यावेदन निरस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

22.2.2019

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1317(18)/23205-11 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची रमेश चन्द्र डगवाल, सहायक अध्यापिका, रा0उ0प्रा0वि0 जमठियालगांव, जौनपुर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

22.2.2019

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश सं०– विधि प्रको–10(5)/1318(18)/ 757 /2018–19 दिनांक 08 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका सं0–1318/एस0एस0/2018 श्रीमती सरला विष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 के अनुपालन में प्रकरण का निस्तारण –

श्रीमती सरला विष्ट स0अ0 प्राथमिक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चम्बा, विकासखण्ड–चम्बा, टिहरी गढ़वाल में कार्यरत थी। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2017–36/2016 दिनांक 21–11–2016 में प्राविधानित "सेवा संवर्ग का परिवर्तन न करते हुए भी व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबंध के साथ करने की अनुमति प्रदान की गई कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरांत मूल संवर्ग में वापिस जाना होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसके मूल संवर्ग में यथावत बनी रहेगी। शासनादेश में उल्लिखित उक्त प्राविधानो के अनुक्रम में पारिवारिक परिस्थिति के कारण श्रीमती सरला विष्ट की पदस्थापना उनके अनुरोध पर जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड चम्बा से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर में किया गया। जिसके क्रम में स्थानान्तरित विद्यालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/XXIV(1)/2016-36/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/XXIV(1)/2017-36/2016 दिनांक 24 जुलाई 2017 को निरस्त किया गया एवं प्राविधानित किया गया कि "कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें"। निदेशालय के पत्रांक प्रा0शि0–दो(2)/2089–92/284(1)/2018–19 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को शासनादेश– 394 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अन्तर्गत जनपद में तैनात शिक्षक/शिक्षिकाओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करते हुए कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त से क्षुब्ध होकर श्रीमती सरला विष्ट द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका सं0–1318/एस0एस0/2018 श्रीमती सरला विष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.......

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

Scanned by CamScanner

उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध किया गया है कि विषम पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर उनको मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित न किया जाय। वर्तमान में राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 05.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 प्रभावी है। उक्त अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत ही अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने हैं एवं याची स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं।

निर्णय

याची श्रीमती सरला बिष्ट का मूल तैनाती का विद्यालय जनपद टिहरी गढवाल, विकासखण्ड धन्या है तथा शासनादेश दिनांक 25–04–2018 द्वारा कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.16 को निरस्त किया गया है, जिसके क्रम में श्रीमती सरला बिष्ट की नवीन विकासखण्ड जौनपुर में की गई तैनाती को निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में याची श्रीमती सरला बिष्ट स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण नहीं करती है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप 394 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धाराओं के अनुसार याची के संवर्ग परिवर्तन की अर्हता पूर्ण न करने एवं याची के प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से उल्लिखित उपलब्ध न होने के कारण याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/विधि प्रकोष्ठ–10(5)/1318(18)/ 23309 - 15 /2018–19 तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि वे याची को कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उनके मूल संवर्ग/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6– याची श्रीमती सरला बिष्ट, सहायक अध्यापिका, रा0उ0प्रा0वि0 जमठियालगांव, जौनपुर, टिहरी गढवाल।
7– कार्यालय पत्रावली।

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून

सेवा में,

1. अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल

2. जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड

पत्रांक: प्रा०शि०–दो(02) / 193(II)–2019 / 1399-1401 / 2020–21 दिनांक 23 जून, 2021

विषय : वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–138 / XXX(2) / 20 / 30 (13) / 2017 दिनांक 24 मई, 2021 द्वारा वर्ष 2021–22 में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत कार्मिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका के कारण शासनादेश संख्या–44 / XXX(2) / 2021–3 (11) / 2018 दिनांक 19 फरवरी, 2021 को अतिक्रमित करते हुए वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021–22 को शून्य घोषित किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या–138 / XXX(2) / 20–30(13) / 2017 दिनांक 24 मई, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(02) / 193(II)–2019 / 1399-1401 / 2020–21 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्याः 138 /XXX(2)/20/30(13)/2017

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 24 मई, 2021

विषयः वर्ष 2021–22 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र को शून्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु शासनादेश संख्या–44(1)XXX-2/2021/30(11)2018 दिनांक 19.02.2021 द्वारा वित्तीय दृष्टिकोण से प्रत्येक संवर्ग के 10 प्रतिशत अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में राज्य में कोविड–19 के संक्रमण में अप्रत्यार्शित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिले कोविड कर्फ्यू की स्थिति में है। उपरोक्त परिस्थिति में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बन्द होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड–19 महामारी घोषित है, ऐसी दशा में कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संकमण फैलने की आशंका बनी रहेगी।

2– अतः कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 19.02.2021 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन सेवाओं में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू हैं, उन सेवाओं हेतु (निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021–22 को शून्य किया जाता है।

.....2

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण अधिनियम से आच्छादित किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा विभाग को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप धारा–27 के अन्तर्गत उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्थानान्तरण समिति के विचारार्थ कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

भवदीय
Omprakash

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः / XXX(2)/20/30(13)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर। गाई फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–3 देहरादून : दिनांक०५ मई, 2020

विषय– आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–रा0स्वा0अभि0/2019–20/जी0ओ0/1842, दिनांक 01.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना को प्रभावी बनाये जाने हेतु योजना में कतिपय संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

2. अवगत कराना है कि उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में जारी आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–688/XXVIII–4–2018–04/2008, दिनांक 14.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–870/XXVIII–4–2018–04/2008, दिनांक 06.12.2018 निर्गत किये गये हैं।

3. उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत उक्त निर्गत शासनोदशों में निम्नवत संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल नहोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखंड राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार संबंधी व्यवस्थाएं:–

1. कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु स्वास्थ्य योजना "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" (State Government Health Scheme) के नाम से संचालित होगी।
2. पात्रता– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय सेवक/पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्य चिकित्सकीय उपचार हेतु पात्र होगें। परिवार के सदस्यों में निम्न सम्मिलित होगें:–

Scanned with CamScanner

(i) राजकीय सेवक/पेंशनर्स स्वयं तथा यथास्थिति उनके पति/पत्नी, जो उन पर आश्रित हों।

(ii) उनके 25 वर्ष की आयु सीमा तक के पुत्र/पुत्री, जो उन पर आश्रित हों।

(iii) राजकीय सेवक/पेंशनर्स के अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा पुत्री बिना किसी आयु सीमा के, जो उन पर आश्रित हों।

(iv) राजकीय सेवक के माता–पिता, यदि उन पर आश्रित हों।

(v) ऐसे पुत्र/पुत्री जो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्तता ग्रस्त हों एवं उन पर आश्रित हों, जीवन पर्यन्त।

नोट :– उपर्युक्त के सम्बन्ध में विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण–पत्र (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की जायेगी।

आश्रित की परिभाषा :– "आश्रित" का तात्पर्य, जिनकी आय भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन की धनराशि की सीमान्तर्गत हो।

3. **बिना किसी सीमा के चिकित्सकीय उपचार**–उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सकीय उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा उपचार हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, अर्थात उपचार पर होने वाले समस्त व्यय के भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी।

4. **प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार**– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में उपचार (अस्पताल में भर्ती होने पर) हेतु किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण (Referral) आवश्यक नहीं है।

5. सभी कार्मिकों/पेंशनरों से समान CGHS दरों पर अंशदान लिया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

सातवें वेतन आयोग के अनुसार–

- वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू0 250/– प्रतिमाह।
- वेतन लेवल 6 राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू0 450/– प्रतिमाह।
- वेतन लेवल 7 से 11 तक राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू0 650/– प्रतिमाह।
- वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू0 1000/– प्रतिमाह।

6. पति–पत्नी दोनों के सेवारत होने की दशा में दोनों में से, जो उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होगा, उसके द्वारा ही अंशदान (Contribution) लिया जायेगा। यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स हैं, तो दोनों के माता पिता जो उन पर आश्रित है, परिवार में सम्मिलित होंगे, बशर्ते कि उन दोनों के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान किया जाना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

7. राजकीय सेवक एवं पेंशनर्स के अंशदान के रूप में की गयी कटौती को सोसाइटी के बैंक खाते में स्थानांतरण किया जाना– विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" के खाते में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी।

8. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों का स्वीकृत करने का अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक भाग–2, 1(ii) में प्रावधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार होगा। राज्य के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति भी उक्त वित्तीय प्रतिनिधायन से शासित होंगे।

अपरिहार्य परिस्थिति में आकस्मिकता के दृष्टिगत गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपचार हेतु अग्रिम आहरण चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के 75 प्रतिशत तक ही अनुनन्य किया जा सकता है। अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक विवरण पत्र–8 'अग्रिम धनराशियाँ' प्रस्तर–8 में प्राविधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं शासनादेशानुसार होगा।

9. ओ0पी0डी0 अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के बीजको की प्रतिपूर्ति हेतु दावा अनिवार्यतः प्रमाण–पत्र समस्त अभिलेखों सहित आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से उपचार सम्प्राप्ति के छः माह के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि से विलम्ब की दशा में प्रतिपूर्ति दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार (IPD)

1) प्रदेश में चिकित्सकीय उपचार– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदेश के राजकीय एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर (In patient) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
2) कैशलेस उपचार– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को (अस्पताल में भर्ती होने पर) कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
3) राज्य के कार्मिकों/पेंशनर्स को आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की सुविधा असीमित धनराशि तक अनुमन्य होगी।
4) उक्त योजना हेतु पैकेज दरें आयुष्मान भारत योजना हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें ही मान्य होंगी।

किन्तु कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के आधार पर कार्मिक/पेंशनर्स को की जायेगी। अनिवार्यता प्रमाण पत्र महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड से प्रतिहस्ताक्षरित कर आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

5) राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को **SCHS (State Government Health Scheme)** के अंतर्गत अतिरिक्त पैकेजस् की सुविधा– राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स को ऐसे चिकित्सा उपचार के लिए जो आयुष्मान में उपलब्ध नहीं है, को Unspecified Package माना जायेगा तथा उन पर रू0 1.00 लाख की सीमा लागू नहीं होगी और एक लाख से अधिक पैकेज उपचार की दरों का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

6) कार्मिकों/पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा हेतु CGHS की अनुमन्यता के आधार पर शैय्या की अनुमन्यता होगी। इस हेतु अस्पतालों को CGHS की दरों पर कक्ष का भुगतान किया जायेगा। राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के सदस्य हेतु बेड का वर्गीकरण सातवें वेतनमान में वर्णित लेवल के अनुसार 1 से 5 तक सामान्य बेड, लेवल 6 हेतु सेमी प्राइवेट बेड, लेवल 7 से 11 हेतु प्राइवेट बेड एवं लेवल 12 एवं उच्चतर हेतु डीलक्स बेड अनुमन्य कराई जाएगी। सेमी प्राईवेट बेड, प्राईवेट बेड एवं डीलक्स बेड हेतु सी0जी0एच0एस0 (CGHS) की दरों पर चिकित्सालय को भुगतान अनुमन्य होगा।

7) एक निश्चित प्रतिशत के चिकित्सा दावों का आडिट भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आउट डोर पेशेन्ट (OPD) व्यवस्था –

IPD की Cashless व्यवस्था लागू किये जाने के उपरान्त OPD में उपचार कराये जाने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की व्यवस्था निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1. शासकीय कार्मिक/पेंशनर्स सूचीबद्ध अस्पतालों में OPD की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।
2. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा कार्मिकों/पेंशनर्स से CGHS की दरों पर परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सक द्वारा परामर्शित दवाओं का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
3. कार्मिक/पेंशनर्स चिकित्सा व्यय का भुगतान सूचीबद्ध अस्पताल में स्वयं करेंगे तथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा अपने नियंत्रण अधिकारी/डी0डी0ओ0 के माध्यम से स्वीकृत कराकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
4. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों से कराये गये उपचार का अनिवार्यता प्रमाण–पत्र अस्पताल के उपचार करने वाले चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तिथि सहित अभिप्रमाणित किया जायेगा।
5. विशेष परिस्थितियों में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्य OPD क्लीनिक में चिकित्सकों से कराये गये उपचार के अनिवार्यता प्रमाण–पत्र का परीक्षण CGHS दरों पर जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा भुगतान डी0डी0ओ0 के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा:–

Scanned with CamScanner

चेक लिस्टः–

i. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। प्रपत्र में कार्मिकों/पेंशनरों की कर्मचारी संख्या, आधार संख्या व दूरभाष संख्या अंकित की जायेगी।

ii. समस्त मूल बिल वाउचर की मूलप्रति संलग्न हो।

iii. समस्त/बिल वाउचर चिकित्सक द्वारा तिथि सहित सत्यापित हो।

iv. चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिकित्सकीय उपचार एवं उसकी दरों का भली–भांति मूल्यांकन करते हुये सत्यापन किया जायेगा।

v. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (प्रारूप परिशिष्ट–1 के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

vi. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न होगा।

vii. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर की ही तिथियों के बिल वाउचर्स का भुगतान किया जायेगा।

viii. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र सूचीबद्ध चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक (गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय से उपचार की दशा में) द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

12. प्रदेश के बाहर चिकित्सा उपचारः–

(i) प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में चिकित्सा उपचार हेतु राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (जिसमें सम्पूर्ण देश में चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है) से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी और सूचीबद्ध चिकित्सालय को पैकेज की अनुमन्य दरों के आधार पर क्लेम का भुगतान किया जायेगा।

जिन प्रकरणों में पोर्टेबिलिटी की जाय उन समस्त मामलों को एस0एच0ए0 स्तर से आडिट करने के बाद ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त व्यवस्था पी0एम0ए0वाई0, राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स को छोडते हुए लागू होगी। पोर्टेबिलिटी के देयकों का भुगतान एन0एच0ए0 की दरों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उपचार के लिए राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को उत्तराखण्ड में स्थित किसी राजकीय/सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर कराना होगा। आपात स्थिति में उपचार हेतु सन्दर्भण कराने की आवश्यकता नही होगी।

(iii) प्रदेश के बाहर नई दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स व उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती होने की दशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (जिसमें सम्पूर्ण देश में चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है) से उपचार करा सकते हैं। इस हेतु रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. कार्यरत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रकियाः–

(i) कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।

Scanned with CamScanner

(ii) पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगे।

(iii) पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्य इसके अतिरिक्त अपने मूल विभाग के आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय से अथवा किसी भी आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं पेंशनर्स (उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर) किसी भी सामुदायिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre-CSC) से अथवा सूचीबद्ध चिकित्सालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

(v) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) इस हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टाफ को उनके नाम से अधिकृत करेगा।

(vi) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करेगा।

(vii) राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों द्वारा गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु रू0 30 प्रति कार्ड शुल्क आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा।

(viii) आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं मुख्य कोषाधिकारी द्वारा प्रति कार्ड प्राप्त रू0 30 का उपयोग रू0 20 कार्ड तैयार कराने में व्यय के रूप में तथा रू0 10 स्टाफ को मानदेय दिये जाने हेतु किया जायेगा।

(ix) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य का पर्यवेक्षण करेगें।

14. उक्त योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान (Grants in Aid) उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है :–

a) उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।

b) उक्त योजना सम्बन्धित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिको हेतु अनिवार्य होगी।

c) उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।

15. राज्य में COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू मेडिकल इमरजेंसी के दृष्टिगत कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु प्रस्तावित राज्य स्वास्थ्य योजना (SGHS) का कियान्वयन की तिथि का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। योजना लागू होने के पश्चात ही अंशदान की कटौती की जायेगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) लागू होने के पश्चात विभागों द्वारा अस्पतालों से अपने स्तर पर किये गये सभी अनुबन्ध समाप्त हो जायेगें।

Scanned with CamScanner

16. उक्त योजना के मौलिक स्वरूप को यथावत रखा जायेगा, परन्तु यदि योजना के कियान्वयन में कोई कठिनाई होती है, तो इस हेतु परिवर्तन–परिवर्धन के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगें।

17. उपरोक्तानुसार सेवारत/सेवा निवृत्त सरकारी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित व्यवस्था के कम में उनके चिकित्सकीय उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–679/चि0–3–2006–437/2002, दिनांक 04.09.2006 भी राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme) के कियान्वयन की राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से अतिक्रमित समझा जायेगा।

उक्त निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत होने वाले समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान प्रशासकीय विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–07/(M)/XXVII(3)/2020. दिनांक 27 अप्रैल, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या– (1)/XXVVIII-3-2020-04/2008. T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
14. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner

आयुष्मान भारत उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत (समस्त कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु) राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये चिकित्सकीय उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्रः

आधार संख्या :

दूरभाष संख्या :

बाह्य/अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

1. मैं डॉ0.....प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता–पिता .....कर्मचारी कोड/पेंशनर जी0आर0डी0 नं0.....

विभाग.....जो.....रोग से पीड़ित हैं/थे, का उपचार दिनांक .....से .....

तक बाह्य/अन्तः रोगी के रूप में .....चिकित्सालय से मेरे द्वारा किया गया है/था।

2. मेरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न बाउचर के अनुसार है, रोगी की स्थिति में सुधार/निवारण के लिये आवश्यक थी। इसमें ऐसी औषधि सम्मिलित नहीं है जिसके लिये समान थैरोप्यूटिक एफेक्ट वाला सस्ता पदार्थ उपलब्ध है और न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित है, जो प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ, टायलेटरीज व डिसइन्फेक्टेन्ट है।

3. उपचार पर व्यय का विवरणः

I.	परामर्श शुल्क	रू0.....
II.	औषधि पर व्यय	रू0.....
III.	पैथोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0.....
IV.	रेडियोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0.....
V.	विशेष परीक्षण पर व्यय	रू0.....
VI.	शल्य क्रिया पर व्यय	रू0.....
VII.	अन्य व्यय (विवरण सहित)	रू0.....
	योग	रू0.....

4. रोगी को चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किये जाने की आवश्यकता थी/नहीं थी।

संलग्नकः– मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित/अभिप्रमाणित बिल/बाउचर संख्या.....

सम्बन्धित चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा किये गये उपचार के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो.....
.....रोग से पीड़ित था/थी, एवं उसका चिकित्सा उपचार किया गया /जा रहा है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....का चिकित्सा उपचार वर्तमान में नवीनतम प्रचलित चिकित्सा पद्धति के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया गया है।
3. चिकित्सालय द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सी0जी0एच0एस0 की दरों के अनुसार रोगी द्वारा कराये गये उपचार की धनराशि प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति रोगी को की जा सकती है।
4. चिकित्सालय में श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उपलब्ध करायी गई चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम है/थी।

प्रतिहस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक
(सम्बन्धित चिकित्सक एवं चिकित्सा केन्द्र/संस्थान का प्रमुख)

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

चिकित्सक
(नाम योग्यता मोहर सहित)

सूचीबद्ध चिकित्सालयों में **O.P.D** उपचार हेतुः

1. सूचीबद्ध चिकित्सालयों में **O.P.D** उपचार की दशा में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित एवं चिकित्सालय के मुख्य/प्रभारी चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में **O.P.D** उपचार की दशा में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्तक्षरित एवं जिला/उपलिजा चिकित्सालय के प्रमुख (मुख्य चिकित्साधीक्षक /चिकित्साधीक्षक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

आकस्मिकता की स्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अन्तः रोगी उपचार **(I.P.D)** की दशा में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रः

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....का ..... चिकित्सालय में उपचार किया गया। उपचारकर्ता को दी गई चिकित्सा सुविधा आवश्यकता एवं उपचार हेतु न्यूनतम थी। उपचारकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योग्य निर्धारित धनराशि **C.G.H.S.** की दरों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी

चेक लिस्ट

अनिवार्यता प्रमाण–पत्र के साथ संलग्नक

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। प्रपत्र में कार्मिकों/पेंशनरों की कर्मचारी संख्या, आधार संख्या व दूरभाष संख्या अंकित की जायेगी।
2. समस्त मूल बिल बाउचर की मूलप्रति संलग्न हो।
3. समस्त बिल बाउचर चिकित्सक द्वारा तिथि सहित सत्यापित हो।
4. चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिकित्सकीय उपचार एवं उसकी दरों का भली–भांति मूल्यांकन करते हुए सत्यापन किया जायेगा।
5. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (प्रारूप परिशिष्ट–1 के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।
6. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न होगा।
7. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र सूचीबद्ध चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक (गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय से उपचार की दशा में) द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1149/XXIV(1)/2018-06/2016
देहरादून : दिनाँकः 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना सं0–1148/XXIV(1)/2018–06/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभावी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
9– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां बेसिक शिक्षा अनुभाग–01 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
12 – निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित नियमावली के अनुक्रम में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
13– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
14– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1148/XXIV(1)/2018-06/2016
देहरादून : दिनाँकः 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम–3 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सन्दर्भ में उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;	'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के सन्दर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;

नियम 5 में संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (1) व (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा।	(1) प्रत्येक जनपद के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों और राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा;
(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रत्येक जनपद के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा; परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पूर्व की भांति जनपद संवर्ग यथावत रहेगा।	(2) विलोपित

Scanned by CamScanner

नियम 7 के संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए;	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए.
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;	परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;
परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।	परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

नियम 9 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 9 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
क्र. सं.	पद		क्र. सं.	पद	
(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होगा अनिवार्य है;	(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान विषय एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर विषय के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे; और विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों

Scanned by CamScanner

	हेतु एवं 25 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा 50 प्रतिशत पद अन्य विषय (जो विज्ञान व भाषा में सम्मिलित नहीं है) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे; परन्तु यह और कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है;
(दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 के नाम से जाना जाता था)	(दो) राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता है) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल. एड./चार वर्षीय बी.एल.एड.
अथवा	अथवा
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र और	50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा
	और
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और,
	(चार) आवेदक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम

Scanned by CamScanner

तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

नियम 13 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 13 के उपनियम (02) में परन्तुक के पश्चात निम्नवत परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :-

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(अधिनियम सं0 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन

7. (क) मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात् :-

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्तकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–1/केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा–1 में प्राप्त प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे; परन्तु यह और कि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

नियम 15 में संशोधन

(ख) मूल नियमावली में नियम 15 (5) के पश्चात उपनियम (6) निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :-

(6) नियमावली के नियम 9(क) के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी.एल.एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी.एड./शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा,

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।

नियम 31 का विलोपन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 31 के उपनियम 03 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :-

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
01. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010/25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011/02.08.2011 के पैरा–3 के खण्ड–1 के उपखण्ड–क में उल्लिखित न्यूनतम अर्हताधारी (बी.एड. टी.ई.टी. (I-V) उत्तीर्ण) अभ्यर्थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या–1809 दिनांक 11.09.2014/12.08.2014 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2016 तक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक (उर्दू) के पद हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 के नियम–9(क)(दो) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध	विलोपित

Scanned by CamScanner

न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त बी.एड. एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) अर्हताधारी अभ्यर्थी भी नियम–15(1) के प्रस्तर–3 के प्रतिबन्ध रहित नियुक्ति हेतु पात्र होंगे,

परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों की वर्णित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–15(1) अभ्यर्थियों का राज्य स्तर पर चयन किया जायेगा। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा। गुणांकों की गणना संलग्नक–1 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी,

परन्तु यह और कि उपरोक्त चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं समयावधि के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे,

राज्य स्तरीय चयन के पश्चात सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

नियम 32 का विलोपन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

क्र. सं.	पद	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम शैक्षिक अर्हता	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क)	सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 2. राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण, 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F. 62-4/2011 /NCTE/ N&S/A 83026 दिनांक 17.02.14 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र	विलोपित

Scanned by CamScanner

अथवा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 उत्तीर्ण एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र

अर्हताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

Scanned by CamScanner

997
25-9-19

संख्याः 680/XXIV(1)/2019-11/2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँक: 24 सितम्बर, 2019

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर औपबन्धिक रूप से कार्यरत शिक्षा मित्र/मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्र के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–प्रा0शि0–दो(2)/6773/322(17)/2019–20 दिनांक 29 जून, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर औपबन्धिक रूप से कार्यरत शिक्षा मित्र/मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्र के सम्बन्ध में है।

2– मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या–856 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्राविधानित किया गया है कि "बशर्ते कि 31–03–2015 तक नियुक्त अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक, जिसने उपधारा (1) के अन्तर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें प्राप्त नहीं की है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम–2017 के प्रारम्भ होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर इन न्यूनतम अर्हताओं को प्राप्त कर लेगा।" तद्क्रम में अधिसूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2019 तक सभी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण की जानी थी।

3– माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित विभिन्न विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2017 (दिनांक 09.08.2017 को सुरक्षित) को अन्तिम निर्णय पारित किया गया है। उक्त विशेष अपील में मा0 सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 9529/2017 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव व अन्य में दिनांक 25.07.2017 को पारित निर्णय के पैरा 26 का उल्लेख करते हुए निम्नवत् निर्णय पारित किया गया हैं :–

> 29. Since the Hon'ble Apex Court has found no error committed by the Allahabad High Court while declaring the exemtion granted to Shiksha Mitras as to be ultra vires upheld the judgment of the Single Judge as well as of Division Bench of Allahabad High Court and since the issue has now been settled by the judgment of the Apex Court dated 25-07-2017 this special appeal too is disposed off in terms of the direction issued by the Apex Court. The para 26 & 27 of the judgment passed by the Apex Court on 25-07-2017 is quoted hereunder:-

"26. Question now is whether in absence of any right in favour of Shiksha Mitras, they are entitled to any other relief or preference. In the peculiar facts situation, they ought to be given opportunity to be considered for recruitment. **If they have acquired or they now acquire the requisite qualification in terms of advertisements for recruitment for next two consecutive recruitment. They may also be given suitable age relaxtion and some weightage for their experience as may be decided by the concerned authority.** Till they avail of this opportunity , the State is at liberty to continue them as Shiksha Mitra on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides.

27. Accordingly, we uphold the view of the High Court Subject to above observation. All the matters will stand dispsed of accordingly.

30. Thus the special appeal so far it relates to the challenge given to the judgment rendered by the learned Single Judge is dismissed. However the respondents are directed to deal with the respective cases of Shiksha Mitras in the light of the directions issued by the Hon'ble Apex Court particular as contained in para 26 of the judgment dated 25-07-2017. Thus special appeal is disposed of subject to the above observation.

4– मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली, 2012 में अधिसूचना दिनांक 29.07.2019 द्वारा संशोधन किया गया है। संशोधित नियमावली के अनुसार ऐसे शिक्षा मित्र जो **दिनांक 31.03.2019** के उपरान्त शैक्षणिक अर्हता सहित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर होने वाली नियुक्ति में **अधिकतम 12 अंक का भारांक** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5– यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–195 दिनांक 16.10.2014 द्वारा 2748 शिक्षा मित्र के पदों को उच्चीकृत करते हुये यह प्राविधानित किया गया कि **पूर्व में कार्यरत 2748 शिक्षा मित्रों के प्रचलित नियमों/नियमावली के अधीन नियुक्त होने पर शिक्षा मित्र के पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।**

6– अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे शिक्षा मित्र /औपबन्धिक सहायक अध्यापक, जिन्होने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–856, दिनांक **17.10.2017** के प्राविधान के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता अर्थात द्विवर्षीय डी0एल0एड0 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, किन्तु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण नहीं हैं, को उत्तराखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण करने हेतु 02 (दो) अवसर प्रदान करते हुए तब तक इनसे औपबन्धिक सहायक अध्यापक/शिक्षा मित्र के रूप में यथावत कार्य लिया जाय। उक्त प्रदत्त अवसर के उपरान्त भी यदि ये शिक्षा मित्र/औपबन्धिक सहायक अध्यापक

यू0टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें 01 (एक) माह का नोटिस प्रदान करते हुये सेवा से मुक्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, जिनके द्वारा एन0आई0ओ0एस0 से ब्रिज कोर्स हेतु पंजीकरण नहीं करवाया गया है तथा सहायक अध्यापक हेतु दिनांक 31.03.2019 तक शैक्षणिक अर्हता (स्नातक) भी पूर्ण नहीं करते हैं, उनके पदों को रिक्त मानते हुये उन पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की नियमावली की व्यवस्थानुसार भर्ती से सम्बन्धित कार्यवाही की जाय तथा पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक, पूर्व में मानदेय पर तैनात शिक्षा मित्रों से शिक्षण का कार्य लिया जाय।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या 59 /XXX–2/19/01(17)/2012
देहरादून, 07 फरवरी, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ– 1(1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन), नियमावली 2019 है।

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में नियम 4 उपनियम (1) के पश्चात् उपनियम 2 निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

नियम 4 का उपनियम (2)		(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री, समूह "ग" के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 236 /XXIV-A/1/2021/18/2018 T.C.

1264
11-2-21

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँकः 10 फरवरी, 2021

विषयः सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से प्राप्त सेवारत् डी0एल0एड0 प्रशिक्षण (Untrained in Sevice Teacher) उपाधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–103/XXIV-A–1/2021–18/2018 T.C. दिनांक 15.01.2021 के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त (वर्ष 2017–2019) (प्रशिक्षण की अवधि 18 माह) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा टी0ई0टी0 प्रथम उत्तीर्ण करने के साथ–साथ उक्त पद हेतु अन्य निर्धारित मानदण्ड व योग्यता पूर्ण कर ली गयी है, को भी वर्तमान सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2– वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं होने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा एन0आई0ओ0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतएव उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0आई0ओ0एस0 से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त (वर्ष 2017–2019) (प्रशिक्षण की अवधि 18 माह) अभ्यर्थियों को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किये जाने की अनुमति विषयक शासनादेश संख्या–103/XXIV-A–1/2021–18/2018 T.C. दिनांक 15.01.2021 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

1122
18-01-2021

महत्वपूर्ण

संख्याः 103 / XXIV-A-1 / 2021-18/2018 T.C.

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

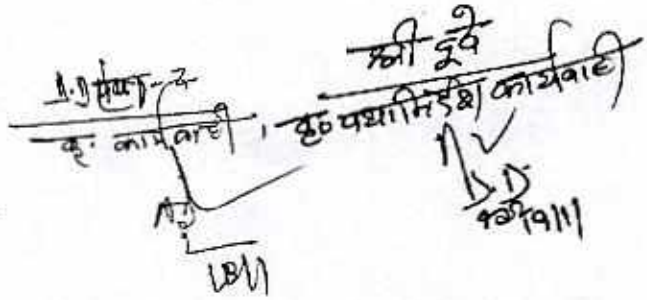

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँकः 15 जनवरी, 2021

विषय :सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से प्राप्त सेवारत् डी०एल०एड० प्रशिक्षण (Untrained in Service Teacher) उपाधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–प्रा0शि0–दो(02)/419(दो)–2020/12709/2020–21 दिनांक 11 जनवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्यान्तर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त (वर्ष 2017–2019) (प्रशिक्षण की अवधि 18 माह) आवेदनकर्ताओं को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति में सम्मिलित करने हेतु दिशा निर्देश चाहे गये हैं।

2– अतएव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के पत्र संख्या/NCTE-Regl011/166/2017-US (Regulation Section)-HQ/96186-218 दिनांक 06–01–2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यान्तर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त (वर्ष 2017–2019) (प्रशिक्षण की अवधि 18 माह) ऐसे अभ्यर्थियों को भी वर्तमान सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिनके द्वारा टी0ई0टी0 प्रथम उत्तीर्ण करने के साथ–साथ उक्त पद हेतु अन्य निर्धारित मानदण्ड व योग्यता पूर्ण कर ली गयी हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
NCTE

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

NCTE-Regl011/166/2017-US (Regulation Section)-HQ /96186-218 Dated:06.01.2021

To,

The Chief Secretary
All State / UT Govt. (as per list)

Subject: Validity of the D.El.Ed (ODL) programme conducted by NIOS for training of untrained in-service elementary teachers: Reg

Sir,

I am directed to refer to Ministry of Education Letter no. F.No11-28/2020-15.14 wherein the following has been mentioned:-

"1. The verdict of Hon'ble Hight Court of Bihar letter dated 16.11.2020 received from Uttarakhand NIOS D.El.Ed, TET Teacher Association on the subject mentioned above (copy enclosed). It has been requested that teachers of Uttarakhand who have completed D.El.Ed course from NIOS (ODL mode) may be made eligible to apply for new vacancies declared by the State in line of State of Bihar.

2. It would be pertinent to mention here that High Court of Bihar in C.W.J.C. No. 19842 of 2019 has ruled vide its order dated 21.02.2020 that the NIOS D.El.Ed (ODL) cleared teachers working in Government/ Government aided/ Private unaided Schools shall be allowed to apply for appointment as elementary teachers training degree D.El.Ed be considered as recognized degree for the same. Further, this Department and NCTE accepted this decision of Hon'ble High Court and decided not to file any appeal against this decision.

3. Therefore, in this backdrop, it is requested to issue a clarification to all states and UTs those candidates who have completed the D.El.Ed course of NIOS (ODL mode) may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other D.E.I.Ed candidates subject to adherence to all the other criteria and qualification requirements, such as passing of TET etc.. as per the NCTE notification dated 23.08.2010 (as amended from time to time) and any other as mandated by the State. This would avoid unnecessary future references/court cases on this issue. A copy of the clarification issued may also be forwarded to this Ministry".

Keeping in view of above it has been clarified that the NCTE has already decided to accept the verdict of the Hon'ble Patna High Court in the case of Sanjay Kumar Yadav & Ors, Vs the State of Bihar & Ors (Civil Writ Jurisdiction Case No. 19842 of 2019). Therefore you are request to consider all those candidate who have completed the D.El.Ed course of NIOS (ODL mode) and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other D.E.I.Ed candidates subject to adherence to all the other criteria and qualification requirements, such as passing of TET etc.. as per the NCTE notification dated 23.08.2010 (as amended from time to time) and any other as mandated by the State.

Yours faithfully

(Shri T. Pritam Singh)
Deputy Secretary

Copy to: Shri Ashok Giri , Under Secretary,Ministry of Education,Shastri Bhavan , New Delhi.

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सं0: 1136 / XXIV-A-1 / 2020 / 18/2018

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2020

विषयः– सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्रांक–प्रा0शि0–दो(02) / 148–2018 / 8440 / 2020–21, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–903 / एस0एस0 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है।

2– उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 द्वारा "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या–903 / एस0एस0 / 2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.06.2019 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यद्यपि उक्त भर्ती प्रक्रिया मा0 न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति शासनादेश–580 / XXIV-A-1 / 2020 / 18/2018, दिनांक 17.06.2020 को निरस्त करते हुए, इस शर्त व प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
चमोली / रूद्रप्रयाग / टिहरी / उत्तरकाशी / हरिद्वार
नैनीताल / अल्मोड़ा / बागेश्वर / चम्पावत / पिथौरागढ़

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(02) / 148–2018 / 9189–9201 / 2020–21 दिनांक: 27 अक्टूबर, 2020

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14–12–2018 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के क्रम में निदेशालय स्तर से दिनांक 14–12–2018 एवं आपके जनपद स्तर पर, माह फरवरी / मार्च, 2019 को प्रकाशित किये गये विज्ञप्तियों के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड (नैनीताल) में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी, जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकीं है।

02– उल्लिखित के क्रम मे रिट याचिका संख्या–903 / 2019 एवं अन्य में दिनांक 07–10–2020 को माननीय न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा अन्तरिम निर्णय पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :–

"……

However, learned counsel for the petitioner submits that the matter requires to be heard and hence the interim order should not be altered.

However, on hearing learned counsels, we are of the considered view that it is far more important that appointment of teachers be made at the earliest point of time.

However, since the litigation is pending adjudication, all such appointments, if any to be made by the State, will be subject to the further orders of this Court.

Hence, ordered accordingly.

Post for hearing in the usual course.

(R.C. Khulbe, J.) 07.10.2020 **(Ravi Malimath) A.C.J.** 07.10.2020

03– उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–1136 / XXIV-A-1 / 2020 / 18 / 2018 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–10–2020 द्वारा "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या–903 / एस०एस० / 2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18–06–2019 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों

की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है। यद्यपि उक्त भर्ती प्रक्रिया माननीय न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–10–2020 के अनुपालन में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति, शासनादेश संख्या–580/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 17–06–2020 को निरस्त करते हुए, इस शर्त व प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की गयी है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में विराचाधीन याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में निदेशालय स्तर से जारी विज्ञप्ति दिनांक 14–12–2018 के सापेक्ष जनपद स्तर पर माह फरवरी/मार्च, 2019 में प्रकाशित की गयी विज्ञप्तियों के सापेक्ष शासनादेश संख्या–1136 दिनांक 26–10–2020 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" में निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। चयन के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायं कि उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

27-10-2020

(आर० के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/148–2018/ ९१८९-९२०१ /2020–21 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
02. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून
03. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल

27-10-2020

(आर० के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

महत्वपूर्ण

संख्याw-206/ XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C.

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँक: 17 दिसम्बर, 2020

विषय : रिट याचिका संख्या–1546/एस0एस0/2020 व रिट याचिका संख्या–379/एस0बी0/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28–11–2020 व दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–वि0प्र0–10(05)/11622/2020–21 दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1546/एस0एस0/2020 एवं रिट याचिका संख्या 379/एस0बी0/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28–11–2020 एवं दिनांक 02–12–2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को भी Provisionally रूप से सम्मिलित करने तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–420, दिनांक 09–12–2020 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए अनुमन्य की गयी छूट का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1227/XXIV-A-1/2020-18/2018,दिनांक 09–11–2020 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019" के प्राविधानानुसार विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

3– अतएव उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–1546/एस0एस0/2020 एवं रिट याचिका संख्या–379/एस0बी0/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28–11–2020 एवं दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को भी Provisionally रूप से सम्मिलित करने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि याचीगणों का नियुक्ति परिणाम मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय तक घोषित न किये जाय एवं उक्त नियुक्ति प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्तियों में ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिये छूट अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–420/XXX(2)/2020/30(10)2019 दिनांक 09–12–2020 का भी अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

महत्वपूर्ण

संख्याW-207/ XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C.

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँक: 24 दिसम्बर, 2020

विषय : रिट याचिका संख्या–379/एस0बी0/2020 श्री अर्जुन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–वि0प्र0–10(05)/379(20)/11736/2020–21 दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–379/एस0बी0/2020 श्री अर्जुन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2020 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्गत जनपदवार विज्ञप्तियों में दिनांक 29.07.2011 से पूर्व B.Ed/B.El.Ed कोर्स में प्रवेश हो चुके याचीगणों के साथ–साथ अन्य आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार किये जाने अथवा जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश चाहे गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–W-206/XXIV-A-1/2020-18/2018T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु जनपदवार प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–1546/एस0एस0/2020 एवं रिट याचिका संख्या–379/एस0बी0/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28–11–2020 एवं दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को Provisionally रूप से सम्मिलित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

3– अतएव उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या–379/एस0बी0/2020 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन में दिनांक 29 जुलाई, 2011 से पूर्व B.Ed/B.El.Ed कोर्स में प्रवेश हो चुके याचीगणों के साथ–साथ अन्य आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, को भी जनपदवार प्रकाशित विज्ञप्तियों में Provisionally रूप से आवेदन करने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त शासनादेश संख्या–W-206/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 की अन्य शर्तें/प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

bank 01

By Email - 9-11-2020

महत्वपूर्ण

संख्या 1227/ XXIV-A-1/2020-18/2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँक 09 नवम्बर, 2020

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/प्रा०शि०–दो(2)/419–2020/9544/2020–21 दिनांक 02 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु रिक्त पदों के विवरण सहित वर्तमान में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मार्च, 2020 की सूचना के अनुसार सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के कुल रिक्त पदो के सापेक्ष दिनांक 14.12.2018 एवं माह मार्च, 2019 में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित पदों को घटाते हुए अवशेष बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुये "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (यथासंशोधित)" में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–903/एस० एस०/2019 एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07–10–2020 को पारित अन्तरिम निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक, प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त नियुक्तियां मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख नियुक्तियों हेतु जारी होने वाली विज्ञप्तियों एवं नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3– साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के उक्त रिक्त पदों को जनपदवार विज्ञापित किये जाने की प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में **20 नवम्बर, 2020** तक पूर्ण कर लिया जाय।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(02)/419–2019/9956 · 53 /2020–21 दिनांक: 09 नवम्बर, 2020

विषय : सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1227/XXIV-A-1/2020–18/2018 दिनांक 09–11–2020 द्वारा मार्च, 2020 की सूचना के अनुसार सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 14–12–2018 एवं माह मार्च, 2019 में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित पदों को घटाते हुए अवशेष बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुए "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (यथासंशोधित)" में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–903/एस०एस०/2019 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07–10–2020 को पारित अन्तरिम निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक, प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गयी है कि उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख नियुक्तियों हेतु जारी होने वाली विज्ञप्तियों एवं नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के उक्त रिक्त पदों जो जनपदवार विज्ञापित किये जाने की प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में **20 नवम्बर, 2020** तक पूर्ण कर लिया जाय।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद शासनादेश संख्या–195/XXIV(1)/2014–37/2006 दिनांक 16–10–2014 द्वारा स्वीकृत किये गये है। अतः जनपद अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में आर०टी०ई० मानकानुसार शिक्षकों की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्ति की गणना करते हुए ही सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पद विज्ञापित किये जाये। उक्त में यह भी निर्देशित किया जाता है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक (उर्दू) के पदों की पूर्ति हेतु विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले पंजीकृत बच्चों की आवश्यकता के सापेक्ष ही सहायक अध्यापक, प्राथमिक (उर्दू) के पद विज्ञापित किये जायें तथा किसी भी दशा में विज्ञापित पदों की संख्या जनपद अन्तर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक (उर्दू) के कुल स्वीकृत पदों की सीमा से अधिक न हो। **यदि विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चें पंजीकृत न हो, तो उर्दू के पदों को कदापि विज्ञापित न किया जाय।**

जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पदों पर नियुक्तियाँ हेतु निर्गत की जाने वाली विज्ञप्तियों में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय कि "माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–903/एस०एस०/2019 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।" उक्त आशय की अंकना सम्बन्धित विज्ञप्ति के माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से उल्लिखित किया जाय।

अतः "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (अद्यावधि तक संशोधित)" में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शासनादेश संख्या–1227 दिनांक 09–11–2020 के अनुपालन में जनपद स्तर पर दिनांक 20–11–2020 तक विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेस संख्या–1227 दिनांक 09–11–2020 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

(आर० के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(02)/419–2019/9950-53 /2020–21 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
03. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

(आर० के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

2126
18/01/2018

संख्या 670/XXIV(1)/न0सू0अनु0/128/2017

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 17 जनवरी, 2018

विषयः— औपबन्धिक रूप से नियुक्त शिक्षा मित्रों के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक—प्रा0शि0—दो(2)/16633/243/2017—18 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका संख्या—1368/2017 श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व0 श्री हीरा सिंह ग्राम जमठारी, तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़ के प्रकरण पर औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये गये शिक्षा मित्र के निधन होने के फलस्वरूप मा0 न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13—6—2017 पर निर्देश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक आश्रितों की नियमावली 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) (संशोधन) नियमावली, 2010 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है तो उस दशा में उनको संबंधित पद पर मौलिक नियुक्ति प्राप्त होती है परन्तु यहां पर जिस कार्मिक की मृत्यु हुई है जब वह स्वयं ही मौलिक रूप से नियुक्त नहीं था और औपबन्धिक रूप से शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त था तथा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल का निर्णय भी शिक्षा मित्रों के पक्ष में नहीं रहा है तो, ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षा मित्र की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित को मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

भवदीया

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) पिथौरागढ़।

पत्रांक : प्रा.शि.–दो(2)/ 26535-40 /243/2017–18 दिनांक: 20 जनवरी, 2018

विषय : औपबन्धिक रूप से नियुक्त शिक्षा मित्रों के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक/विधि प्रकोष्ठ/12054–55/2017–18 दिनांक 25 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र द्वारा औपबन्धिक रूप से कार्यरत शिक्षा मित्र के औपबन्धन काल में ही आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1368/एस0एस0/2017 श्रीमती गंगा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 13–06–2017 को पारित निर्णयादेश के अनुपालन में दिशा निर्देश चाहा गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–670/XXIV(1)/ न.सृ.अनु./128/2017 दिनांक 17 जनवरी, 2018 द्वारा निर्देशित किया गया है कि मृतक आश्रितों की नियमावली–1974 (अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश 2002) (संशोधन) नियमावली, 2010 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है, तो उस दशा में उनको सम्बन्धित पद पर मौलिक नियुक्ति प्राप्त होती है, परन्तु यहां पर जिस कार्मिक की मृत्यु हुई है जब वह स्वयं ही मौलिक रूप से नियुक्त नहीं था और औपबन्धिक रूप से शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त था तथा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का निर्णय भी शिक्षा मित्रों के पक्ष में नहीं रहा है तो, ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षा मित्र की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित को मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपेक्षित दिशा निर्देश के क्रम में उल्लिखित शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय
(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक

पृ.सं./प्रा.शि.–दो(2)/ 26535-40 /243/2017–18 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:–

1– अपर निदेशक, (प्रा.शि.) गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल को शासन के पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

2– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) चम्पावत/बागेश्वर/चमोली/टिहरी को जनपद में शिक्षा मित्रों (संविदा) के मृतक आश्रित नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में शासन के पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक

कार्यालय : निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/प्रा०शि०–दो(2)/148(III)–2018/ 245 /2020–21 दिनांक 04 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्या/सेवा–2 (मा०शि०)/महा०नि०(अधियाचन)/1648/2020–21 दिनांक 18 अगस्त, 2020 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–202/XXX(2)/2020–30(4)2020 दिनांक 23 जुलाई, 2020 में सीधी भर्ती के चयन हेतु संवर्गवार रोस्टर एवं अधियाचन (एकीकृत भर्ती पोर्टल) ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के फलस्वरूप मण्डल एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) सम्बन्धित जनपद को जनपद स्तर पर की जाने वाली सीधी भर्तियों (यथा सहायक अध्यापक प्राथमिक आदि पदों हेतु) तथा अपर निदेशक (प्रार०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को मण्डल संवर्ग के अन्तर्गत की जाने वाली सीधी भर्तियों (यथा कनिष्ठ सहायक आदि पदों हेतु) के लिए पदेन नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

उक्त में यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद/मण्डल में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों की रोस्टर पंजिका को Update कर लें जिससे सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के सापेक्ष आरक्षणवार कार्यरत कार्मिकों की Online entry समयान्तर्गत हो सकें।

(आर० के० कुँवर) 2020
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं०/प्रा०शि०–दो(02)/148(III)–2018/ 6792-97 /2020–21 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय पत्र संख्या/सेवा–2(मा०शि०)/महा०नि०(अधियाचन)/1648/2020–21 दिनांक 18 अगस्त, 2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
03. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को मण्डल स्तर पर सीधी भर्ती के पदों (कनिष्ठ सहायक आदि) का रोस्टर पंजिका अपडेट करना सुनिश्चित करें।
04. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० उत्तराखण्ड को जनपद स्तर पर सीधी भर्ती के पदों (सहायक अध्यापक प्राथमिक आदि) का रोस्टर पंजिका अपडेट कराना सुनिश्चित करें।
06. समस्त उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड। (जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० के माध्यम से)

(आर० के० कुँवर) 2020
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा
शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)
उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(05)/ 161 / 152(18)/2019–20 दिनांक 02 अप्रैल, 2019

विषय : उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप–1596 दिनांक 21–11–2016 के तहत प्रारिम्भक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की मूल संवर्ग से अन्यत्र नवीन संवर्ग की तैनाती विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 73/XXIV(1)/ 2019–07/2015 टी0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2018 द्वारा श्री केदार सिंह रावत, मा0 विधायक यमुनोत्री, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 23.01.2019 जो मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरका को सम्बोधित है पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1596/XXIV(1)/ 2016–36/2016 दिनांक 21.11.2016 से प्रभावित ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों, जो दाम्पत्य नीति, गम्भीर बीमारी एवं पर्वतीय जनपद से पर्वतीय जनपद के तहत स्थानान्तरण से आच्छादित हैं, की सूचना अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त विषयक के क्रम में निम्नवत् आख्या प्रस्तुत है:–

01 कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1596/XXIV(1)/2016–36/2016 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा संवर्ग के भीतर एवं संवर्ग के बाहर दोनों रूप में नवीन तैनाती हुई है।

02 तत्समय उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली–2013 यथासंशोधित नियमावली नियम–16 के अन्तर्गत सेवा संवर्ग परिवर्तन हेतु अर्हता न रखने वाले शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये व्यक्तिगत पारिवारिक कठिनाई के निवारण हेतु मूल संवर्ग से अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबन्ध के साथ "उत्तराखण्ड शासन के कार्यलय ज्ञाप संख्याः 1596/XXIV(1)/ 2016–36/2016 दिनांकः 21 नवम्बर, 2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के नियम 16 के अन्तर्गत सेवा संवर्ग परिवर्तन हेतु अर्हता न रखने वाले शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये व्यक्तिगत, पारिवारिक कठिनाई के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस प्रतिबन्ध के साथ करने की अनुमति प्रदान की जाती है कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा स्थानान्तरित नवीन संवर्ग में पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण अथवा अन्य किसी कारण से सम्बन्धित शिक्षक का पद रिक्त न रहने अथवा नवीन संवर्ग में तैनाती के तीन वर्ष पूर्ण होने की दशा में (जो भी पहले हो) नवीन संवर्ग में सम्बन्धित शिक्षक की तैनाती निरस्त मानी जायेगी एवं नवीन संवर्ग में तैनाती के निरस्त होने पर उन्हें अपने पूर्व के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करना होगा।"

03 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–394/XXIV(1)/2018–36/2016 T.C.II दिनांक 25–04–2018 द्वारा राज्य के पर्वतीय जनपदों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं उक्त के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या–1596/XXIV(1)/2016–36/2016 दिनांक 21–11–2016 को

तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21–11–2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश को स्वतः निष्प्रभावी करते हुए इन आदेशों से प्रभावित शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को 31–05–2018 तक प्रत्येक दशा में उनके मूल तैनाती स्थान हेतु कार्यभार मुक्त कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

02 उत्तराखण्ड शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या–394/XXIV(1)/2018–36/2016 T.C.II शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) दिनांक 25–04–2018 के क्रम में कतिपय शिक्षकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में वाद योजित किया गया। जिसके क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2018 को आदेश पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

10. Consequently, the petitions fails and are dismissed.
11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

(V.K. Bist, J.)
26.10.2018

04 जिन शिक्षकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में वाद योजित किया गया उनका मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा उक्त पारित आदेश के क्रम में निदेशालय स्तर से कतिपय शिक्षकों का निस्तारण आदेश जारी किए जा चुके है। कतिपय शिक्षक परिषदीय परीक्षा–2019 सम्पादित किए जाने हेतु कार्ययोजित होने पर उनके प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

05 शासन के कार्यालय ज्ञाप : 1596/XXIV(1)/2016–36/2016 दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में अन्य जनपदों से जनपद देहरादून में 294 शिक्षकों की तैनाती की गयी है। वर्तमान में जनपद देहरादून में आर0टी0ई0 मानकानुसार 133 शिक्षक सरप्लस है, जनपद पौड़ी में 06 शिक्षकों की तैनाती की गयी है एवं जनपद पौड़ी में 389 शिक्षक सरप्लस है। साथ ही अवगत कराना है कि 10 से कम छात्र संख्या वाले कक्षा 1 से 5 तक के संचालित–255 विद्यालय एवं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संचालित–46 तथा नगर क्षेत्र के एक ही कैम्पस में संचालित 08 विद्यालय (कुल 309 विद्यालयों) का विलीनीकरण किया जा चुका है। जिससे कतिपय जनपदों में प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के विद्यालयों में अध्यापकों की सरप्लस की स्थिति हो गयी है।

06 वर्तमान में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) प्रभावी है। अधिनियम के अनुसार संवर्ग के भीतर जनपद स्तर की समिति एवं सवंर्ग से बाहर धारा–17 उपनियम–2 (ड.) में उल्लिखित प्राविधानों से आच्छादित शिक्षकों का अधिनियम की धारा–27 में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्थानान्तरण किए जाने का प्राविधान है।

07 शासन के कार्यालय ज्ञाप : 1596/XXIV(1)/2016–36/2016 दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में नवीन संवर्ग में तैनात शिक्षक का उनके मूल संवर्ग के विद्यालय जहाँ वे पूर्व में

अन्य विद्यालयों से शिक्षकों की व्यवस्था/स्थानान्तरण किए जा चुके है। नवीन संवर्ग में तैनात शिक्षकों के उनके मूल संवर्ग के जनपद से समस्त सेवा अभिलेख नवीन संवर्ग में तैनाती विद्यालयों हेतु स्थानान्तरित कर दिए गये है एवं उनका वेतन इत्यादि उनके नवीन संवर्ग के कार्यरत विद्यालय से आहरित हो रहा है।

08 शासन के कार्यालय ज्ञाप : 1596/XXIV(1)/2016–36/2016 दिनांक 21.11.2016 के क्रम में मूल संवर्ग से अन्य संवर्ग में सहायक अध्यापक प्राथमिक के अतिरिक्त पदोन्नति के पदों (यथा–प्राथमिक–प्रधानाध्याक, उच्च प्राथमिक–सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों) नवीन तैनाती प्रदान की गयी है।

09 शासनादेश संख्या दिनांक 13 फरवरी, 2018 द्वारा दिए गये निर्देशानुसार शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित शिक्षकों की उनके आवेदन/तैनाती आदेश के अनुसार पृथक–पृथक (दाम्पत्य नीति, गम्भीर बीमारी एवं पर्वतीय जनपद से पर्वतीय जनपद एवं अन्य) तैयार की गयी है। तथापि अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) के नियम–17 उपनियम–2 (ड.) में संवर्ग परिवर्तन हेतु ".....दो कार्मिकों के मध्य. विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक सवंर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण किए जाने का प्राविधान है। जबकि संलग्न सूची के अनुसार अधिकांश शिक्षक जो उक्त नियम से आच्छादित नही है उनके द्वारा भी नैवीन संवर्ग में यथावत् बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त आख्या एवं दाम्पत्य नीति, गम्भीर बीमारी, पर्वतीय जनपद से पर्वतीय जनपद एवं अन्य की सूची संलग्न कर शासन के निर्णायार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूची।

भवदीय

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

1019
30/9/19

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–01(बेसिक)
संख्याः– / /XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II
देहरादूनः दिनांक :27 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम–16 के अन्तर्गत सेवा संवर्ग परिवर्तन अनुमन्य न होने के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1596/XXIV(1)/2016–36/2016, दिनांक 21.11.2016 द्वारा सेवा संवर्ग, को अपरिवर्तित रखते हुए, शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोध एवं उनकी पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस शर्त एवं प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गयी थी कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस जाना होगा। तदोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–727/XXIV(1)/2017–36/2016, दिनांक 24.07.2017 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. कार्यालय ज्ञाप–394, दिनांक 25.04.2019 द्वारा कर्यालय ज्ञाप संख्या–1596/XXIV(1)/2016 36/2016, दिनांक 21.11.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–727/XXIV(1)/2017- 36/2016, दिनांक 24.07.2017 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त गया एवं सम्बन्धित शिक्षकों को दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये।

3. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 एवं दिनांक 24.07.2017 के निरस्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें दायर की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2018 को निर्णय पारित किया गया है। जिसका कियात्मक अंश निम्नवत हैः–

11. Learned counsel for the petitioners also submitted that many petitioners have genuine difficulty and their case is covered by the provisions of Transfer 42 Act. They submitted that few petitioners are entitled for transfer on the ground of spouse policy, others on the ground of serious illness of them or any of their family members. It is also the case of some of the petitioners that they have been transferred from one hill district to another hill district and their case should be considered sympathetically. Considering these facts, it is observed that in case any of the petitioners makes representation before the competent authority in this regard, it will be open for the competent authority to consider the same and to take decision on the said representation sympathetically, in accordance with law, promptly.

4. मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के क्रम में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अनुसार गम्भीर बीमारी से आच्छादित शिक्षकों (स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्य), विभागीय प्रस्ताव के आधार पर दाम्पत्य नीति (पति–पत्नी) से आच्छादित शिक्षकों एवं पर्वतीय स्थल से पर्वतीय स्थल में तैनात शिक्षकों (सूची संलग्न) के

स्थानान्तरण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। उक्त शिक्षकों कों अधिनियम की धारा–27 की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व की भांति यथावत् बनाये रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है। संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की समिति के निर्णय/सहमति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप–1596 से आच्छादित ऐसे शिक्षक जो मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2018 से आच्छादित नहीं होते हैं, उन शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय हेतु वर्तमान में पंचायती चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यमुक्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–0 3 सूची

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्याः–659/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत उक्त शिक्षकों की बीमारियों का एक्ट में उल्लिखित बीमारी से आच्छादित होने का परीक्षण कर एक माह में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सूची–1

र्यालय ज्ञाप 1596 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्ठया गम्भीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों की सूची

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम/विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड/ जनपद
1	श्री जगवीर सिंह भण्डारी स0अ0,रा0प्रा0वि0 हिरालनपुरोला उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 दीपनगर रायपुर, देहरादून
2	जगतेश्वरी बहुगुणा स0अ0,रा0उ0प्रा0वि0 छिनका रूद्रप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 जस्सोवाला, विकासनगर, देहरादून
3	विद्यादत्त, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 भुडाई खटीमा, उधमसिंह नगर	रा0उ0प्रा0वि0 बाडवाला, विकासनगर देहरादून
4	अनिता बिष्ट, स0अ0,रा0प्रा0वि0 दिखोल्यू खिर्सू पौडी	देहरादून
5	सुषमा शर्मा, स0अ0,रा0प्रा0वि0 ग्वाड थापली धनपुर, अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग	नगर क्षेत्र–08 ऋषिकेश जनपद देहरादून
6	विपिन कुमार तोमर, स0अ0,रा0प्रा0वि0,बरसूड़, द्वारीखाल, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 गदरदूहा हरिद्वार
7	कुसुमलता राणा, स0अ0,रा0प्रा0वि0 छतिण्डा बांडियू, द्वारीखाल, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 सबावाला, विकासनगर , देहरादून
8	रंजना कार्की, स0अ0,रा0प्रा0वि0 डाण्डा, उनाना, देवप्रयाग, टिहरी	रा0प्रा0वि0 फलसुवा, डोईवाला, देहरादून
9	श्री बीरेन्द्र सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बाननी वि0ख0 धारचूला, पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 केशवपुरी डोईवाला, देहरादून
10	पुष्पा भट्ट, प्र0अ0,रा0प्रा0वि0 डांग भटवाडी उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 राझावाला, डोईवाला, देहरादून
11	श्रीमती चन्द्रकला डिमरी, स0अ0, रा0क0उ0प्रा0वि0 नैल कुडाव, दशोली चमोली	रा0उ0प्रा0वि0 बापूग्राम डोईवाला, देहरादून
12	विनीत शास्त्री, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सेरीबाराकोट विण पिथौरागढ़	जनपद उधमसिंह नगर
13	श्रीमती निशा सामन्त, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बोहरागांव, ताडीखेत, अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 बमौरी/ जवाहर ज्योति/ देवीरामपुर वि0ख0 हल्द्वानी नैनीताल
14	श्रीमती योगिता वर्मा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 किसऊ कालसी देहरादून	रा0प्रा0वि0 महमुदनगर, सहसपुर, देहरादून
15	श्रीमती भुवनेश्वरी रतूडी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गैरोली तल्ली चमोली	रा0प्रा0वि0 गुलरघाटी, डोईवाला, देहरादून
16	श्री बद्री विशाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गडसिर,नारायण बगड़, चमोली	रा0प्रा0वि0 धूमनगर सहसपुर, देहरादून
17	सुषमा नौटियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दिउली, यमकेश्वर, पौडी	रा0प्रा0वि0 महमुदनगर, सहसपुर, देहरादून
18	ऊषा रानी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गैर बनाल नौगांव उत्तरकाशी	जनपद देहरादून
19	सुरभि रावत प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 तिमली- 2 यमकेश्वर पौडी	रा0प्रा0वि0 शेखोंवाला, विकासनगर देहरादून
20	रूकसाना, स0अ0, रा0क0उ0प्रा0वि0 ग्वालदम थराली चमोली	रा0उ0प्रा0वि0 सलगा, कालसी देहरादून
21	श्रीमती विजय भारती पाण्डे, स0अ0,जू0हा0 नई टिहरी	रा0उ0प्रा0वि0 देहरादून रोड, डोईवाला, देहरादून
22	श्रीमती दुर्गा थपलियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 जोखणी वि0ख0 चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	देहरादून
23	कुशलजीत, स0अ0, रा0प्रा0वि पज्याणा मल्ला गैरसैण चमोली	रा0प्रा0वि0 सैदपुरा हरिद्वार

	श्रीमती बबीता शर्मा, स0अ0, रा0प्रा0वि0. खानेकलपाटी, सल्ट अल्मोडा	नम्बर –12 नगर क्षेत्र मगलौर हरिद्वार
5	रश्मिरानी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 खाण्डसू पोखरी चमोली	नगर क्षेत्र–3 मगलौर हरिद्वार
6	श्री नेपाल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कमराडा, भिकियासैण अल्मोडा	नम्बर –19 नगर क्षेत्र रूडकी हरिद्वार
7	श्री संदीप सैनी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 थारू खमरिया क्षेत्र सितारगंज जनपद ऊधमसिंह नगर	रूडकी, भगवानपुर बहादराबाद नारसन जिला हरिद्वार (65% विकलांग)
8	रविता टण्डन स0अ0, रा0प्रा0वि0 हिम्मतपुर हेमपुर ऊधमसिंह नगर	रा0प्रा0वि0 मडावली हरिद्वार
29	सोनिका, स0अ0, रा0प्रा0वि0 छर्ती ऐराडी मुनस्यारी पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 शाहपुर–2 हरिद्वार
30	सुशील कुनार लौहान, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सलगडा डंगोली बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 भरतपुर मीरपुर हरिद्वार
31	साधना वर्मा, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बिथ्याणी, यमकेश्वर पौड़ी गढवाल	रा0प्रा0वि0 हरियावला खुर्द सहसपुर, देहरादून
32	आशिया कुरेशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नं0 6 पौडी	रा0प्रा0वि0 नवीन नकरौदा, डोईवाला, देहरादून
33	सुलोचना रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सुमार्थ, भिलंगना टिहरी	रा0प्रा0वि0 नथुवावाला, बालावाला, कुमाल्डा, धौलपुर, नारायण गांव जौनपुर देहरादून
34	फूलपती मौर्य, स0अ0,रा0प्रा0वि0,हुडोली पुरोला उत्तरकाशी	नगर क्षेत्र–44 हरिद्वार
35	कविता डंग, स0अ0,रा0प्रा0वि0 चक चन्देली पुरोला,उत्तरकाशी	नगर क्षेत्र–42 रूड़की हरिद्वार
36	श्रीमती अंजुलिका रावत, स0अ0, रा0क0उ0प्रा0 वि0 देवीखाल, पौड़ी गढ़वाल	रा0क0उ0प्रा0वि0 करगी रायपुर, देहरादून
37	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मुसौं चमोली	देहरादून/ ऋषिकेश नगर क्षेत्र
38	श्री लाल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 जैठा भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 बाजुहेडी, हरिद्वार
39	श्रीमती गंगा नौटियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कुमराडा चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	रा0उ0प्रा0वि0 सुनारगाव डांइवाला, देहरादून
40	श्रीमती संगीता गुप्ता, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0,पिपली, बरसूडी, अगस्तमुनि रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 बडागौहर, सहसपुर, देहरादून
41	तनुजा पंवार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 मट्टी उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 डांडा लखोड, रायपुर, देहरादून
42	श्री अनिल चन्द्र डिमरी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मींग नारायणबगड चमोली	रा0उ0प्रा0वि0 बडागहर सहसपुर देहरादून
43	श्रीमती कंचन,स0अ0 रा0प्रा0वि0 चाम्फी रामगढ नैनीताल	रा0प्रा0वि0 ऋषिकेश नं0–1 देहरादून
44	श्री लक्ष्मी प्रसाद, स0अ0 रा0प्रा0वि0 मलेठी, गैरसैण चमोली	रा0उ0प्रा0वि0 कोटला संतोर सहसपुर देहरादन।
45	सुधा भट्ट, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 घेना वि0ख0 जौनपुर, टिहरी	देहरादून
46	सुभाष चन्द,स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 बजियालगांव भिलंगना टिहरी	रा0क0उ0प्रा0वि0 भगवानपुर हरिद्वार
47	श्री जितेन्द्र जोशी, रा0प्रा0वि0 हलजोरा, भगवानपुर, हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 भगवानपुर, राजावाला, नौगांव ब्लॉक सहसपुर, देहरादून
48	श्रीमती सीमा शर्मा,रा0प्रा0वि0 कोरदी, टिहरी गढ़वाल	रा0प्रा0वि0 धनण्डपुर रानीपोखरी नगरपालिका क्षेत्र ऋषिकेश के प्रा0वि0
49	मीरा राणा, रा0प्रा0वि0 क्वाडी नौगांव उत्तरकाशी	देहरादून के नगरक्षेत्र
50	संगीता नहरिया, रा0प्रा0वि0 सानी मुनस्यारी पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 हेतमपुर, बहादराबाद, हरिद्वार

	श्रीमती विभा बिष्ट, रा0प्रा0वि0 सलगा कालसी	रा0प्रा0वि0 फतेहपुर, डोईवाला, देहरादून
	ओम सिंह स0अ0, रा0प्रा0वि0 अटाल वि0ख0 चकराता देहरादून	रा0प्रा0वि0 सुल्तानपुर–2 हरिद्वार
	श्री बिजेन्द्र लाल नगवाण, रा0उ0प्रा0वि0 चानीवासर जौनपुर जनपद टिहरी गढ़वाल	रा0उ0प्रा0वि0 ढकरानी, विकासनगर, देहरादून
4	पंकज कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 अटाल चकराता देहरादून	रा0प्रा0वि0 बांगला–1 हरिद्वार
5	श्रीमती शालिनी शर्मा,रा0प्रा0वि0 सिसोई खेडा कालसी, देहरादून	रा0प्रा0वि0 हरबंशवाला, रायपुर, देहरादून
6	लज्जेश्वरी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 गोमुख देवप्रयाग टिहरी	रा0प्रा0वि0 शिवनगर बस्ती, सहसपुर देहरादून
7	श्रीमती सीमा मिश्रा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बुगाणी खिर्सू जनपद पौड़ी	रा0प्रा0वि0 नगर क्षेत्र नन्दनगर श्रीनगर पौड़ी
8	श्रीमति अमिता संगप्पा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 टिपरी टि0ग0	रा0प्रा0वि0 भण्डारगांव या निकटस्थ विद्यालय टि0ग0
9	श्री पुषेन्द्र कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 रिठा बमन गरूड बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 छांगा मजरी, भगवानपुर, हरिद्वार
0	अमित कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिलवाड वि0ख0 जयहरीखाल पौड़ी गढ़वाल	रा0प्रा0वि0 छांगा मजरी, भगवानपुर, हरिद्वार
1	सरिता बहुगुणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गोदा, थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल	रा0प्रा0वि0 तिपरपुर, विकासनगर, देहरादून
2	श्रीमती प्रमिला थपलियाल प्र0अ0, रा0प्रा0वि0फलई रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 नयागांव पेलियो, वि0ख0 सहसपुर देहरादून।
3	श्रीमती प्रेरणा सैनी, स0अ0 रा0प्रा0वि0 कोरमा कालसी, देहरादून	रा0प्रा0वि0 सालियर हरिद्वार
4	श्रीमती बबीता चौहान, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नागणी टिहरी	रा0प्रा0वि0 तिपरपुर, विकासनगर देहरादून
5	श्री हीरा सिंह टोलिया, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 भैसियाछाना, अल्मोड़ा।	रा0प्रा0वि0 नवाड़ सैलानी क्षेत्र हल्द्वानी नैनीताल।
6	श्रीमती कुसुमलता पोखरियाल,स0अ0, रा0प्रा0वि0 मासौं मसेटा एकेश्वर पौडी	रा0प्रा0वि0 सिरोली, पौड़ी
7	श्रीमती चम्पा पाण्डे, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सल्ला, भैसियाछाना, अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 ओखलढुंगा, वि0ख0 भीमताल, नैनीताल
8	श्रीमती अलका राजपूत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 रेडू, एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल	रा0क0उ0प्रा0वि0 डोईवाला–II देहरादून
9	श्रीमती लीला फर्त्याल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 करघटिया सितारगंज,उधमसिंहनगर	रा0प्रा0वि0 खड़कपुर, देवीपुरा, काशीपुर, उधमसिंहनगर

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सूची–2

कार्यालय ज्ञाप 1596 के अन्तर्गत पति/पत्नी सेवा में कार्यरत होने वाले शिक्षकों की सूची

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम/पदनाम/कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विद्यालय/ वि0ख0/ जनपद का नाम
1	श्रीमती शिखा ममगाई शर्मा, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बडनू, कालसी देहरादून	रा0प्रा0वि0 केशवपुरी डोईवाला, देहरादून
2	श्रीमती मनोरमा बिष्ट सजवाण स0अ0,रा0प्रा0वि0 गेठिया सल्ट अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 चालगं, रायपुर देहरादून
3	नीलम,स0अ0, रा0क0उ0प्रा0वि0 गाडगाव बागेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 तिपरपुर विकासनगर, देहरादून
4	अनिता रौथाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भेदनपुर, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 गढ़वाली कालोनी न0क्षे0 देहरादून
5	यशोदा मैठाणी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नैर जौनपुर टिहरी	रा0प्रा0वि0 बालावाला–1, 2, शमशेरगढ़ डोईवाला
6	मोहिनी रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भोगपुर यमकेश्वर पौड़ी	ऋषिकेश एवं देहरादून के सुगम विद्यालय
7	व्योम डंगवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 घेना जौनपुर टिहरी	रा0प्रा0वि0 कारगी ग्रान्ट–1,रायपुर देहरादून
8	श्रीमती शकुन्तला डोभाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 पुण्डोरी पौड़ी	रा0प्रा0वि0 लिस्ट्राबाद, डोईवाला देहरादून
9	कुसुम बौठियाल, प्र0अ0,रा0प्रा0वि0 खरदूणी यमकेश्वर पौड़ी	रा0प्रा0वि0 खता, डोईवाला, देहरादून
10	श्रीमती राजेश्वरी जगूडी, स0अ0,रा0उ0प्रा0वि0 भोगी, टिहरी गढ़वाल	रा0उ0प्रा0वि0 छिदरवाला, डोईवाला, देहरादून
11	श्रीमती प्रीता नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिलचौड पौड़ी	वि0ख0 रायपुर, जनपद देहरादून
12	कस्तूरी नैथानी, स0अ0,रा0उ0प्रा0वि0 सिराला कोट पौडी	रा0उ0प्रा0वि0 गंजामजरा हरिद्वार
13	श्री अरमियान सिंह जयाडा, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 स्यालब नौगाव उत्तरकाशी	रा0उ0प्रा0वि0 बाडवाला, विकासनगर देहरादून
14	राजकुमार, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नवीन दाडिमखेत गरूड बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 हकीमपुर, हरिद्वार
15	श्रीमती रंजना बिष्ट, स0अ0, रा0पू0मा0वि0 पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 डालवानवाला, देहरादून
16	श्रीमती सोबती डोभाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 मोटणा प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 पाटा चम्बा टिहरी
17	श्रीमती प्रेमलता भट्ट, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 उदियाणगांव वि0ख0 जखोली रूद्रप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 गौरीमाफी, डोईवाला, देहरादून
18	बंशीलाल वर्मा, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 धजीरा सल्ट अल्मोड़ा	जनपद देहरादून
19	सुमन, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0,जसपुर कल्जीखाल पौड़ी	रा0प्रा0वि0 रामपुर कला, सहसपुर देहरादून
20	डोली सागर, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 मोहम्मदपुर लक्सर हरिद्वार	रा0उ0प्रा0विरामपुर कला सहसपुर, देहरादून
21	दीपा नेगी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 जौरासी पोखरी चमाली	रा0उ0प्रा0वि0 रामपुर कला सहसपुर, देहरादून
22	विनीता ध्यानी स0अ0,रा0प्रा0वि0 बरसूर एकेश्वर, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 नगर क्षेत्र–1 दुगड्डा पौड़ी
23	श्री राजकुमार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 डांडा की बेली, जौनपुर टिहरी	रा0प्रा0वि0 ऋषिकेश न0–9 देहरादून
24	लेखराज, स0अ0, रा0प्रा0वि0,किमखोला देवप्रयाग टिहरी	रा0प्रा0वि0 बाड़वाला, विकासनगर देहरादून
25	श्रीमती पूनम पवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 निवालगांव भिलंगना टिहरी	रा0प्रा0वि0 केदारपुर रायपुर, देहरूदन
26	श्रीमती राजेश्वरी पैन्यूली, स0अ0 रा0प्रा0वि0, कठिया नरेन्द्रनगर टिहरी	रा0प्रा0वि0 केशवपुर, डोईवाला, देहरादून
27	श्री संतोष कुमार, स0अ0,रा.प्रा.वि. बालाजीगर वि0ख0, गगोलीहाट, पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 दिउरा वि0ख0 कल्जीखाल, पौड़ी गढ़वाल
28	गार्गी बडोनी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 घेना जौनपुर टिहरी	रा0प्रा0वि0 लाडपुर, रायपुर, देहरादून
29	महेन्द्र सिंह स0अ0, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सेलाबाग पाटी	जनपद नैनीताल

	चम्पावत	
30	श्रीमती अनिता थपलियाल,स0अ0, रा0प्रा0वि0, किलचौरी जोशीमठ चमोली	रा0प्रा0वि0 घमोला, सहसपुर, देहरादून
31	श्रीमती रूबी रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कोकलियाल गांव जौनपुर टिहरी	रा0प्रा0वि0 डालनवाला, रायपुर, देहरादून
32	श्रीमती विनीता यादव, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डालकन्या ओखलकाडा	गदरपुर बाजपुर उधमसिंह
33	गीता पंचवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 वमणवेरा देवाल चमोली	जनपद हरिद्वार
34	ममता पंवार स0अ0,रा0प्रा0वि0 पीपलखान, लोहाघाट चम्पावत	रा0प्रा0वि0 गंगनोली हरिद्वार
35	दीपा रावत, स0अ0,रा0प्रा0वि0 मोला धिरोली अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 अजबपुर डांडा, रायपुर देहरादून
36	श्रीमती पुष्पा देवी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 जोलाकोट थराली चमोली	रा0प्रा0वि0 जाखन, न0क्षे0 देहरादून
37	श्रीमती नीलम करासी, स0अ0, रा0आदर्श वि0 जोशीमठ चमोली	रा0प्रा0वि0 हिन्दूवाला, विकासनगर, देहरादून
38	श्रीमती मनोरमा नेगी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सिलेथ, कल्जीखाल, पौडी	रा0प्रा0वि0 ब्रहमपुर, रायपुर देहरादून
39	शान्ती चौहान, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 पयालगांव कोट, पौड़ी	जनपद देहरादून
40	विनोद कुमार रावत, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 बाडा जनपद पौड़ी गढ़वाल	देहरादून
41	श्रीमती सुनीता रावत, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 गगवाडा, पौड़ी 1	रा0प्रा0वि0 सहसपुर–2 देहरादन
42	श्रीमती प्रेमा चमोली स0अ0 रा0प्रा0वि0 चटोली, दशोली, चमोली	रा0प्रा0वि0 कोटडा सन्तूर, सहसपुर देहरादून।
43	श्रीमती सीमा भट्ट,स0अ0 वि0ख0 गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	रा0प्र0वि0 सहसपुर, देहरादून
44	श्रीमती रीमा गर्ग, स0अ0, रा0प्रा0वि0 थत्योड, कालसी देहरादून।	नगर क्षेत्र–1 रूड़की हरिद्वार
45	श्रीमती नीता राज, स0अ0, रा0जू0हा0 तनौर चमोली	रा0प्रा0वि0 टिबडी हरिद्वार।
46	श्रीमती कविता चौहान, स0अ0, रा0प्रा0वि0 मैणो, टि0ग0	रा0प्रा0वि0 बद्रीपुर,रायपुर देहरादून
47	श्रीमती शशि अमोली, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पैठाणी नारायणबगड़ चमोली	नगर क्षेत्र–25 हरिद्वार
48	श्रीमती नन्दिता रमोला परमार, स0अ0 रा0प्रा0वि0 धिवरा वि0ख0 पुरोला उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0–01 कोतिवाली के सामने ऋषिकेश देहरादून।
49	श्रीमती सुनीता यादव, स0अ0 रा0प्रा0वि0 डंडा मल्ला, वि0ख0 एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल	रा0प्रा0वि0 छरबा लोअर सहसपुर देहरादून
50	श्रीमती गीतिका पुरोहित, स0अ0 रा0प्रा0वि0 मटीना, थराली चमोली	रा0प्रा0वि0 मथरोवाला, देहरादून।
51	श्रीमती सोबनी असवाल, स0अ0 रा0प्रा0वि0 कोकलियाल गांव, टिहरी गढवाल, जौनपुर	रा0प्रा0वि0 आराघर–1, नगर क्षेत्र, देहरादून
52	श्रीमती उर्मिला ध्यानी, प्र0अ0 रा0प्रा0वि0 मेलधार, वि0ख0 रिखणीखाल, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 गोरखपुर आरकेडिया, सहसपुर, देहरादून

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सूची–3

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1596 के अन्तर्गत पहाड़ से पहाड़ में हुई तैनात अध्यापकों की सूची

क्र. सं0	अध्यापक का नाम पदनाम कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानानतरण हेतु वांछित विद्यालय/वि0ख0 जनपद का नाम
1	श्री अब्बल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 परसुना वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	वि0ख0 भटवाडी/ डुण्डा उत्तरकाशी
2	श्री उत्तम राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 देवनगर, ओखल काण्डा नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कुज्जन जनपद उत्तरकाशी
3	श्री उमेश चन्द्र, स0अ0,रा0प्रा0वि0 होकरा, मुनस्यारी, पिथौरागढ	चमोली, गढवाल मण्डल
4	श्री विनोद कुमार गंगाडी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पंगूट बेतालघाट नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कुमारकोट, डुण्डा उत्तरकाशी
5	श्रीमती संतोष राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 हिरालानी कुमोला पुरोला,उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 भेलधार डुण्डा उत्तरकाशी
6	श्रीमती निर्मला औली,स0अ0, रा0प्रा0वि0 गंगोई धारचूला	चम्पावत
7	श्रीमती मीना डोभाल,स0अ0, रा0प्रा0वि0 देवराजखाल पोखडा पौड़ी गढ़वाल	रा0प्रा0वि0 मलेथा खिर्सू पौडी
8	श्रीमती रूचि सकलानी स0अ0,रा0प्रा0वि0 गजा	कुमाल्डा
9	माधुरी देवी प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 लेक अमोडी चम्पावत	जनपद चम्पावत
10	नवीन चन्द्र काण्डपाल प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 कालीगांव सल्ट अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सौरे भिक्यासैण अल्मोडा
11	विजय सिंह स0अ0,रा0प्रा0वि0 क्वीटी मुनस्यारी पिथौरागढ	रूद्रप्रयाग
12	प्रवीण सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 रोटली ईजरा चम्पावत	उत्तरकाशी
13	राकेश प्रसाद नौटियाल,स0अ0,रा0प्रा0वि0 वार्ड नम्बर 10 टनकपुर चम्पावत	टिहरी गढ़वाल
14	राजकिशोर सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दायरांथी धारचूला पिथौरागढ	चमोली
15	उदय सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गोली चम्पावत	टिहरी गढ़वाल
16	आनन्द सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पालीखेत धौलादेवी अल्मोडा	टिहरी गढवाल
17	राजेन्द्र असवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सौपाखाल, नैनीडांडा पौडी	प्रा0वि0 बडकोट, चकरगांव नौगांव उत्तरकाशी
18	श्री दिनेश चन्द्र नेगी, स0अ0 रा0प्रा0वि0 सैनर, वि0ख0 बेरीनाग, पिथोरागढ	रा0प्रा0वि0 भीडलग्गा गडोरा वि0ख0 दशोली चमोली
19	श्रीमती बबीता जोशी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 ढुंग बजियाल गांव ग्यारहगांव हिन्दाव भिलंगना टिहरी	रा0प्रा0वि0 दिवाडा/माणवा/तुंगोली विकासखण्ड चम्बा टिहरी
20	खुशहाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दिखोली पाटी चम्पावत	रूद्रप्रयाग
21	श्रीमती सुलोचना, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 किनोई जौनपुर	रा0उ0प्रा0वि0 धेना टिहरी गढवाल
22	श्रीमती अर्चना व्यास,स0अ0, रा0प्रा0वि0 पिनालीधार प्रतापगढ टिहरी	रा0प्रा0वि0 गुरसाली, टिहरी गढ़वाल
23	श्रीमती सरला बिष्ट, स0अ0, रा0क0उ0प्रा0वि0 सुरसिंह धार चम्बा टिहरी	रा0उ0प्रा0वि0 जमठियाल गांव जौनपुर, टिहरी गढ़वाल
24	श्री रमेश डंगवाल, स0अ0, जू0हाईस्कूल पोखार भिलंगना	जू0हाई स्कूल जमठियालगांव– जौनपुर, टिहरी गढ़वाल
25	श्रीमती उषा कठैत, स0अ0 जू0हा0स्कूल दनसाडा	जू0हा0स्कूल दैडधार नरेन्द्रनगर

26	सरला राणा स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 भोनाबागी, चम्बा टिहरी	कुमाल्डा/दौक जौनपुर टिहरी
27	श्रीमती रेखा चौहान, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 तल्यामण्डल वि0ख0 देवप्रयाग	जौनपुर/नरेन्द्रनगर वि0ख0
28	श्री मोहन सिंह राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गंगाउ थैलीसैंण पौडी	बडकोट उत्तरकाशी
29	श्री तेज पाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 धार, धारचूला	वि0ख0 कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल
30	महेश सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कमडई,बीरोखाल, पौड़ी गढ़वाल	पिथौरागढ़
31	मालती पुरोहित, स0अ0,रा0प्रा0वि0 किरोली ऐठाण बागश्वर	रा0प्रा0वि0 माठा, चमोली
32	दिर्घायु प्रसाद वशिष्ठ,स0अ0, रा0प्रा0वि0 बल्ला मुनस्यारी पिथौरागढ	रूद्रप्रयाग
33	राजेन्द्र पसाद मिश्रा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नाधर मुनस्यारी पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 चौण्डली, चमोली
34	श्री दिनेश चन्द्र डंगवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कुमुगडार, खत्ता रामनगर	रा0प्रा0वि0 ऋषिकेश नगर क्षेत्र/नरेन्द्र नगर/ देवप्रयाग
35	श्रीमती मीरा परमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 ढनाण चौखुटिया,अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 ल्वारखा डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
36	गंगा सिंह भण्डारी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सुवारी अगस्तमुनी रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 पुराना रिखवाड जनपद उत्तरकाशी
37	श्री वीर सिंह खरोला, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पज्याणाखाल गैरसैण चमोली	रा0प्रा0वि0 सेम डुण्डा, उत्तरकाशी
38	श्रीमती बच्ची बिष्ट, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0चलथी चम्पावत	रा0उ0प्रा0वि0 छीनीगोठ चम्पावत
39	श्रीमती बीना पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कल्याणा, गैरसैंण, चमोली	रा0प्रा0वि0डुण्डा उत्तरकाशी
40	श्रीमती लता काण्डपाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0गुजरगढी अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0ताड़ीखेत वि0ख0 उपराड़ी
41	सुरेन्द्र सिंह गुसांई,स0अ0, रा0प्रा0वि0, सेमखेत, गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 गडकोट, बीरोंखाल, पौड़ी
42	श्रीमती प्रीति बिष्ट, स0अ0, रा0प्रा0वि0 चरी, वि0ख0 घाट चमोली	रा0प्रा0वि0 चटोली चमोली
43	श्री दिनेश प्रसाद जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0, लोरथी, बेरीनाग पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 जोगथ तत्ला, चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी
44	श्रीमती कुसुमलता पोखरियाल,स0अ0,रा0प्रा0वि0 मासौं मस्टेठा एकेश्वर पौडी	रा0प्रा0वि0 सिरोली, पौड़ी
45	श्रीमती अनिता, स0अ0,रा0प्रा0वि0 मठबेमरू, दशोली चमोली(दुर्गम)	रा0प्रा0वि0 सुपार्गा भटवाडी (दुर्गम)
46	श्री रमेश कुमार झिल्डियाल,प्र0अ0, रा0प्रा0वि0,गोसिल, हिन्डोलाखाल, देवप्रयाग	रा0प्रा0वि0 सिमस्वाडा, देवप्रयाग/ रा0प्रा0वि0 औणी नरेन्द्रनगर टिहरी
47	श्री सुरेन्द्र कुमार बलोनी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गंगवाडी, भिलंगना टिहरी	कीर्तिनगर/नरेन्द्रनगर वि0ख0 टिहरी
48	श्री प्रेम सिंह रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भरपूर छोटा बीरोंखाल	रा0 प्रा0वि0 डाण्डाडमराडा जनपद पौडी गढवाल
49	श्री मनोज गैरोला, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0, पारकोट कीर्तिनगर टिहरी	प्रा0वि0 डाण्डा बुराली कीर्तिनगर टिहरी
50	श्री जगमोहन नौटियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सलकुवार ओखलकाण्डा नैनीताल	रा0प्रा0वि0 भंकोली, केनसू, भटवाडी उत्तरकाशी
51	श्री पीताम्बर दत्त उनियाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सेगा पुनाणू	रा0प्रा0वि0 पाटा क्षेत्र चम्बा टिहरी गढवाल

	जाखणीधार टिहरी	
52	श्री अनिल कुमार मैठाणी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पापडी, रामनगर नैनीताल	रा0प्रा0वि0 चिलोथ, उत्तरकाशी
53	श्री ललित नौटियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 किमकांडा, अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सर्प जनपद उत्तरकाशी
54	सुश्री बीना जोशी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 गरवाली हवलबाग अल्मोडा	अल्मोडा अथवा समीपस्थ विद्यालय नगर क्षेत्र
55	श्रीमती सुनीता सजवाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0,गुनोगी, बमुण्डा, वि0ख0 चम्बा	रा0उ0प्रा0वि0 खण्डकरी
56	श्रीमती जीनद अहमद, स0अ0, रा0प्रा0वि0,झानसू, चम्बा, टिहरी	रा0प्रा0वि0 गुनोगी बमुण्ड, वि0ख0 चम्बा/रा0उ0प्रा0 वि0 खण्डकरी चम्बा टिहरी
57	श्रीमती ललिता पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सौन्दकोटी मल्ली चम्बा	रा0उ0प्रा0वि0 भेडधार नरेन्द्रनगर
58	श्रीमती मंजूला नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दिखोलगांव मनियार, चम्बा टिहरी	रा0प्रा0वि0 गुनोगी वि0ख0 चम्बा / रा0प्रा0वि0 चौंपा टिहरी
59	श्री अजयबीर चन्द रमोला, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बालमा टिहरी	जू0हा0 कुठठा टि0ग0
60	श्री अजीतपाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 खरीक वि0ख0 द्वारीखाल पौडी गढवाल	जनपद टिहरी गढवाल जिला मुख्यालय के समीप रा0प्रा0वि0 में।
61	श्री इस्तियाक अहमद, स0अ0, जू0हा0,भमोरी खाल थौलधार, टिहरी गढवाल	रा0जू0हा0 टिगरी चम्बा, टिहरी गढवाल
62	श्रीमती सुलोचना, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बिजौरी,चिन्याली सौड, उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 चम्बा/ थौलधार, टिहरी गढवाल
63	श्रीमती निर्मला, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 जौनीवासर भिलंगना, टिहरी	रा0प्रा0वि0 अडेली गाड, काडरना नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल
64	श्री राकेश सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 नैलहतीम कल्जीखाल पौडी	रा0प्रा0वि0 ग्वाड उतरासू कोट, पौडी गढवाल
65	श्री मानेन्द्र पवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नाई पौखडा, पौडी	रा0प्रा0वि0 पाटा भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
66	श्री महावीर प्रसाद, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सानती, वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 जालग डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
67	श्री अब्बल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बलसूना वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 साल्ड जनपद उत्तरकाशी
68	श्री कृष्णपाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तिमूखाल विख0 स्याल्दे अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 भेटीयारा जनपद उत्तरकाशी वि0ख0 डुण्डा
69	श्री भूपेन्द्र सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कोट्यूडा नवौन वि0ख0चौखुटिया, अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 पुराना रिखवाड जनपद उत्तरकाशी
70	श्री संजीव नयन, स0अ0,रा0प्रा0वि0 दुम्मर वि0ख0 मुनस्यारी, पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 नेपडा जनपद उत्तरकाशी
71	श्री मधुसूदन गौड, स0अ0,रा0प्रा0वि0 वार्ड नं0 03 टनकपुर चम्पावत	जनपद रूद्रप्रयाग
72	श्री यशवन्त पडियार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 थल पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 मटटी जनपद उत्तरकाशी
73	श्री सरविन्द बिष्ट,स0अ0,रा0प्रा0वि0 टिकरचुपडा विख0 अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 भटकोट जनपद उत्तरकाशी
74	श्री अनिल पडियार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 धुर्म वि0ख0 लमगडा, अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 चिलोथ जनपद उत्तरकाशी
75	श्री हरीश कसवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 रिगू मुनस्यारी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 तिहार उत्तरकाशी

76	श्री कृष्ण कुमार बहुगुणा, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कौल वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 नौगांव केलसु जनपद उत्तरकाशी
77	श्री राजीव व्यास, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सेलाकोट, वि0ख0 धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सेलाकोट जनपद उत्तरकाशी
78	श्री प्रवीन नौटियाल, स0अ0 रा0प्रा0वि0 दुनाड वि0ख0 धौलादेवी,अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 रैथल भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
79	श्री देवेन्द्र सिंह राणा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नौरा वि0ख0व लमगडा अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 हुर्री, भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
80	श्री अजय जोशी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 रोण धौलादेवी अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 सिलक्यारा, बैण्ड डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
81	श्री धर्मेन्द्र चौहान, स0अ0,रा0प्रा0वि0 अमेता सल्ट अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 गर्जोली डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
82	श्री मुकेश जुयाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 वार्ड नं0 10 चम्पावत	रा0प्रा0वि0 नौगाव डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
83	श्री प्रवीन सिंह,स0अ0,रा0प्रा0वि0 रोटरीइजरा वि0ख0 न्याटी चम्पावत	रा0प्रा0वि0 कुमार कोट डुण्डा जनपद उत्तरकाशी
84	श्रीमती राजेश्वरी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गोन्दर वि0ख0 पोखडा, पौडी गढवाल	रा0प्रा0वि0 वार्सू, भटवाडी, उत्तरकाशी
85	श्री राघवेन्द्रे उनियाल,स0अ0, रा0प्रा0वि0,खुटकाधारी, नैनीताल	रा0प्रा0वि0 पाही, भटवाडी जनपद उत्तरकाशी
86	श्रीमती राखी पंत, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 रायगढी, जोशीमठ, चमोली	रा0क0उ0प्रा0वि0 सुनील जोशीमठ, चमोली
87	श्री गंगा सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 सुवांरी,अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग	वि0ख0 डुण्डा / चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
88	श्री धीरज पाल सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 धुलैथ, पाबौ, पौडी गढवाल	रा0प्रा0वि0 स्यालब ब्लॉक नौगांव उत्तरकाशी
89	अनीता गर्जोला, स0अ0,रा0प्रा0वि0 बेतालघाट	रा0उ0प्रा0वि0 बेलबसानी चौंसला, तपस्यानाला
90	श्री बलबीर पंवार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 होराली बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 भैन्त डेण्डा उत्तरकाशी
91	श्रीमती ममता पवार,स0अ0, रा0प्रा0वि0 चमगांव पाबौ	रा0प्रा0वि0 नवीन ज्ञानसू भटवाडी उत्तरकाशी
92	श्रीमती प्रीति नेगी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 असेना भिलंगना टिहरी	रा0प्रा0वि0 रौतू की बेली जौनपुर टिहरी
93	श्रीमती सरोजनी सेमवाल,स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 भदालीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 गडकोट देवप्रयाग टिहरी
94	श्री हीरा टोलिया, प्र0अ0,रा0प्रा0वि0 भैसियाछाना अल्मोडा	भीमताल / नैनीताल
95	श्री सुभाष चन्द्र डबराल,स0अ0, रा0प्रा0वि0 बिछाडा पौड़ी	चकराता एवं कालसी
96	श्रीमती पूर्णिमा पवांर,स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिलंगा गैरसैण	भटवाडी उत्तरकाशी
97	श्री सजीव रावत, स0अ0,रा0प्रा0वि0 धनियाकोट नैनीताल	उत्तरकाशी
98	श्रीमती प्रेयका रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तल्ला कोट नैनीताल	उत्तरकाशी
99	श्री विनय रावत, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 डबिलाखाल पोखडा पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 मथाणा
100	श्री रजनीश गैरोला, स0अ0, रा0प्रा0वि0, जीवलगाड गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 पोंटी तल्ली नौगांव उत्तरकाशी
101	श्री धनवीर सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 डांडा मजयाणी,	उत्तरकाशी
102	श्रीमती दीपिका आर्या, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 नारायण बगड	रा0उ0प्रा0वि0 विवके चौईधार चमोली
103	श्री सरिता देवी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 आमथल बेरीनाग पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 गढभेटियारा डुण्डा उत्तरकाशी
104	श्रीमती बबीता नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बदियासैण चमोली	रा0प्रा0वि0 इन्द्रा चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
105	श्री सुधीर चन्द, स0अ0, रा0प्रा0वि सेमघार,प्रतापनगर टिहरी	शिवपुरी या खर्की नरेन्द्रनगर
106	श्री मेहरबान सिंह बुटोला, स0अ, रा0प्रा0वि0 मोल्या,	विकास खण्ड कीर्तिनगर

	प्रतापनगर	
07	श्री रमेश डंगवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गुनोगी जौनपुर	प्रा0वि0 दुबडा
108	श्री दीपक कुमार स0अ0,रा0प्रा0वि0 लोधा, मुनस्यारी पिथौरागढ	टिहरी गढवाल के वि0ख0 कीर्तिनगर
109	श्रीमती सुमन काला, स0अ0, जू0हा0स्कूल हरडाखाल देवप्रयाग	जू0हा0स्कूल कुमाल्डा जौनपुर
110	श्रीमती किरण उनियाल, स0अ0, जू0हा0स्कूल चौपा, टिहरी गढवाल	जू0हा0स्कूल नीर सिंगटाली, शिवपुरी, ढालवाला
111	श्री जयप्रकाश केष्टवाल स0अ0, रा0प्रा0वि0 कुठखाल थैलीसैंण पौडी	रा0प्रा0वि0 न0–8नगर क्षेत्र पौडी गढवाल
112	श्री प्रकाश चन्द्र मैठाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कोटसाणा, पौडी	रा0प्रा0वि0 जामरी वि0ख0 कोट पौड़ी
113	श्री बच्ची बिष्ट, स0अ0,रा0उ0प्रा0 वि0 चलथी चम्पावत	रा0उ0प्रा0वि0 पंचपोखरिया/फाकपुर
114	श्रीमती माधुरी, प्र0अ0,रा0प्रा0वि0 लेकअमोडी, चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मनीहारगोठ चम्पावत
115	श्रीमती प्रेता, स0अ0,रा0प्रा0वि0 ओलना, कल्जीखाल पौड़ी	देहरादून नगर /पौड़ी नगर क्षेत्र
116	श्री चन्द्रपाल असवाल, स0अ0, रा0जू0हाई0ठॉगर,एमकेश्वर पौडी	रा0जू0हाई0 तल्ला बणास द्वारीखाल पौड़ी
117	ममता रावत स0अ0,रा0प्रा0वि0 बैलोडी एकेश्वर, पौड़ी	विकासखण्ड दुगड्डा पौडी
118	धमेन्द्र सिंह चौहान, स0अ0, रा0प्रा0वि0 अमेता सल्ट अल्मोडा	उत्तरकाशी
119	यदुवेन्द्र सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 त्यूनरा लमगडा अल्मोडा	उत्तरकाशी
120	शिव प्रकाश, स0अ0,रा0प्रा0वि0 तोली मूनाकोट पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 मोरगी, चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
121	भवानी प्रसाद बिजल्वाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0 जाराजिबली धारचूला पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 कन्ताडी, पुरोला उत्तरकाशी
122	प्रमोद सिंह भण्डारी, स0अ0, रा0प्रा0वि0, सैलमेल पाटी चम्पावत	रा0प्रा0वि0 तीहार भटवाडी उत्तरकाशी
123	रंजना पाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 दडगाडगॉव मोरी उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 धामस हवालबाग, अल्मोडा
124	रोशन सिंह रावत, स0अ0,रा0प्रा0वि0 तल्ला सुल्ला, लोहाघाट,चम्पावत	रा0प्रा0वि0 जसपुरखाल बीरोंखाल, पौड़ी
125	राजपाल सिंह, स0अ0,रा0प्रा0वि0 शील चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मासौ बीरोखाल, पौड़ी
126	दीपक कुमार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 लोधा मुनस्यारी पिथौरागढ	टिहरी
127	दीपक तिवारी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 स्यूंरी लमगडा अल्मोडा	रा0प्रा0वि0 पल्ली गांव रिखणीखाल पौड़ी
128	श्री तेज सिंह भण्डारी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 देवलिंग भिलंगना	रा0उ0प्रा0वि0 चौपा/उडारखेत नरेन्द्रनगर टिहरी
129	बीना पंवार, स0अ0,रा0प्रा0वि0 कल्याणा गैरसैंण चमोली	रा0प्रा0वि0 गढभेटीयारा वि0ख0 डुण्डा उत्तरकाशी
130	रोशन लाल, स0अ0,रा0प्रा0वि0 गिरगड पोखरी चमोली	वि0ख0 गैरसैंण चमोली
131	मीना देवी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कलुण पाबो पौड़ी	जनपद उत्तरकाशी
132	कयूम बख्श सिद्दीकी, स0अ0,रा0प्रा0वि0 जोलाकोट थराली चमोली	जनपद चम्पावत

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1149/XXIV(1)/2018-06/2016
देहरादून : दिनाँकः 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना सं0–1148/XXIV(1)/2018–06/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभावी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
9– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां बेसिक शिक्षा अनुभाग–01 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
12 – निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित नियमावली के अनुक्रम में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
13– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
14– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,
(अदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1148/XXIV(1)/2018-06/2016
देहरादून : दिनाँकः 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम–3 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सन्दर्भ में उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;	'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के सदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है,

नियम 5 में संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (1) व (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा।	(1) प्रत्येक जनपद के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों और राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा,
(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रत्येक जनपद के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा; परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पूर्व की भांति जनपद संवर्ग यथावत रहेगा।	(2) विलोपित

Scanned by CamScanner

नियम 7 में संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए;	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए,
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;	परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;
परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।	परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

नियम 9 का संशोधन

5 मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 9 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
क्र. सं.	पद		क्र. सं.	पद	
(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होगा अनिवार्य है;	(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान विषय एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर विषय के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे; और विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों

Scanned by CamScanner

(3)

	हेतु एवं 25 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा 50 प्रतिशत पद अन्य विषय (जो विज्ञान व भाषा में सम्मिलित नहीं है) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे; परन्तु यह और कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है;
(दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 के नाम से जाना जाता था)	(दो) राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता है) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल. एड./चार वर्षीय बी.एल.एड.
अथवा	अथवा
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र और	50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा
	और
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और,
	(चार) आवेदक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम

Scanned by CamScanner

तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

नियम 13 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 13 के उपनियम (02) में परन्तुक के पश्चात निम्नवत परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(अधिनियम सं0 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन

7. (क) मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्तकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–1/केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा–1 में प्राप्त प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे; परन्तु यह और कि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

नियम 15 में संशोधन

(ख) मूल नियमावली में नियम 15 (5) के पश्चात उपनियम (6) निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

(6) नियमावली के नियम 9(क) के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी.एल.एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी.एड./शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।

नियम 31 का विलोपन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 31 के उपनियम 03 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
01. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010/25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011/02.08.2011 के पैरा–3 के खण्ड–1 के उपखण्ड–क में उल्लिखित न्यूनतम अर्हताधारी (बी.एड. टी.ई.टी. (I-V) उत्तीर्ण) अभ्यर्थी मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या–1809 दिनांक 11.09.2014/12.08.2014 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2016 तक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक (उर्दू) के पद हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 के नियम–9(क)(दो) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध	विलोपित

Scanned by CamScanner

न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त बी.एड. एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) अर्हताधारी अभ्यर्थी भी नियम–15(1) के प्रस्तर–3 के प्रतिबन्ध सहित नियुक्ति हेतु पात्र होंगे,

परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों की वर्णित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–15(1) अभ्यर्थियों का राज्य स्तर पर चयन किया जायेगा। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा। गुणांकों की गणना संलग्नक–1 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी,

परन्तु यह और कि उपरोक्त चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं समयावधि के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय– समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे,

राज्य स्तरीय चयन के पश्चात सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

नियम 32 का विलोपन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम		स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
क्र. सं.	पद	शैक्षिक अर्हता	
(क)	सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 2. राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान /जिला संसाधन केन्द्र से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण, 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F. 62-4/2011 /NCTE/ N&S/A 83026 दिनांक 17.02.14 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र	विलोपित

Scanned by CamScanner

(6)

अथवा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 उत्तीर्ण एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र

अर्हताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

Scanned by CamScanner